

[2024] 5 एस.सी.आर. 761: 2024 आईएनएससी 387

अपनी मां के माध्यम से विधि से संघर्षरत बालक

बनाम

कर्नाटक राज्य और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 2411/2024)

07 मई 2024

[माननीय न्या. सी.टी. रविकुमार और माननीय न्या. राजेश बिंदल]

विचारणीय मुद्दा

(i) क्या किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 14(3) के अंतर्गत प्रारंभिक निर्धारण पूरा करने के लिए प्रदान की गई अवधि आज्ञापक है या निदेशात्मक; (ii) क्या किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 और 2016 के नियमों में 'बाल न्यायालय' और 'सत्र न्यायालय' शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर पढ़ा जाएगा; (iii) अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत पारित बोर्ड के आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा 101(2) के अंतर्गत अपील दायर करने की समय अवधि क्या है; (iv) क्या न्यायालयों, अधिकरणों, बोर्डों और अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों द्वारा पारित सभी आदेशों में पीठासीन अधिकारी और/या आदेशों पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों के नाम का उल्लेख किया जाएगा; (v) क्या पीठासीन अधिकारी और/या सदस्य आदेश पारित करते समय पक्षकारगण और/या उनके अधिवक्तागण की उपस्थिति, जिस उद्देश्य के लिए मामला स्थगित किया जा रहा

है तथा जिस पक्षकार की ओर से स्थगन मांगा गया है और दिया गया है, उसका समुचित अभिलेख दर्ज करेंगे।

हेडनोट्स

किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 - धारा 14(3) - क्या 2015 अधिनियम की धारा 14(3) के अंतर्गत प्रारंभिक निर्धारण पूरा करने के लिए प्रदान की गई अवधि आज्ञापक है या निदेशात्मक:

अभिनिर्धारित किया गया: अधिनियम की धारा 15(1) के अनुसार बोर्ड द्वारा जघन्य अपराध का प्रारंभिक निर्धारण अधिनियम की धारा 14(3) के अनुसार तीन माह की अवधि के भीतर पूरा किया जाना है - अधिनियम में समय के विस्तार का प्रावधान नहीं है और यह अनुमेय समय के भीतर जांच पूरी न करने के परिणाम भी निर्धारित नहीं करता है - इसके अभाव में जांच पूरी करने की समय सीमा निर्धारित करने वाला प्रावधान आज्ञापक नहीं माना जा सकता है - इस प्रकार, अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत प्रारंभिक निर्धारण पूरा करने के लिए तीन माह की अवधि प्रदान करने वाले अधिनियम की धारा 14(3) का प्रावधान आज्ञापक नहीं है - इसे निदेशात्मक अभिनिर्धारित किया जाता है - मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी या, जैसा भी मामला हो, मुख्य महानगर दंडाधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से अवधि बढ़ाई जा सकती है - चूंकि प्रारंभिक जांच की प्रक्रिया में कई व्यक्ति शामिल होते हैं, अर्थात् अन्वेषक अधिकारी, विशेषज्ञ जिनकी राय प्राप्त की जानी है, और उसके बाद बोर्ड के समक्ष कार्यवाही, जहां विभिन्न कारणों से कोई भी पक्षकार कार्यवाही में विलंब करने में सक्षम हो सकता है, धारा 14(3) में प्रदान किया गया समय आज्ञापक अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है,

क्योंकि इसमें विफलता के कोई परिणाम प्रदान नहीं किए गए हैं जैसा कि अधिनियम की धारा 14(4) के अनुसार छोटे अपराधों की जांच के मामले में है। [पैरा 9.13, 9.14, 18(i)]

किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 - किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 - क्या किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 और 2016 के नियमों में 'बाल न्यायालय' और 'सत्र न्यायालय' शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर पढ़ा जाएगा:

अभिनिर्धारित किया गया: अधिनियम और 2016 के नियमों के प्रावधानों के संयुक्त वाचन से, जहां कहीं भी 'बाल न्यायालय' या 'सत्र न्यायालय' शब्दों का उल्लेख किया गया है, दोनों को वैकल्पिक रूप से पढ़ा जाना चाहिए - इस अर्थ में कि जहां बाल न्यायालय उपलब्ध है, भले ही अपील को सत्र न्यायालय के समक्ष संधार्य कहा जाता है, उस पर बाल न्यायालय द्वारा विचार किया जाना है - जबकि जहां कोई बाल न्यायालय उपलब्ध नहीं है, वहां शक्ति का प्रयोग सत्र न्यायालय द्वारा किया जाना है - किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और 2016 के नियमों में 'बाल न्यायालय' और 'सत्र न्यायालय' शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर पढ़ा जाएगा - मुख्य रूप से क्षेत्राधिकार बाल न्यायालय में निहित है - यद्यपि, जिले में ऐसे बाल न्यायालय के गठन की अनुपस्थिति में, अधिनियम के अंतर्गत प्रयोग की जाने वाली शक्ति सत्र न्यायालय में निहित है। [पैरा 12.2, 18(ii)]

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 - अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत पारित बोर्ड के आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा 101 (2) के अंतर्गत अपील दायर करने की समय अवधि क्या है:

अभिनिर्धारित किया गया: अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत पारित बोर्ड के आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा 101(2) के अंतर्गत अपील 30 दिनों की अवधि के भीतर दायर की जा सकती है - अपील न्यायालय उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अपील पर विचार कर सकता है, बशर्ते पर्याप्त कारण बताए जाएं - दायर की गई ऐसी किसी भी अपील पर 30 दिनों की अवधि के भीतर निर्णय लेने का प्रयास किया जाना चाहिए। [पैरा 18(iii)]

किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 - क्या न्यायालयों, अधिकरणों, बोर्डों और अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों द्वारा पारित सभी आदेशों में पीठासीन अधिकारी और/या आदेशों पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों के नाम का उल्लेख किया जाएगा:

अभिनिर्धारित किया गया: न्यायालयों, अधिकरणों, बोर्डों और अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों द्वारा पारित सभी आदेशों में पीठासीन अधिकारी और/या आदेश पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों के नाम का उल्लेख किया जाएगा - यदि कोई पहचान संख्या दी गई है, तो उसे भी जोड़ा जा सकता है। [पैरा 18(vii)]

किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 - क्या पीठासीन अधिकारी और/या सदस्य आदेश पारित करते समय पक्षकारगण और/या उनके अधिवक्तागण की उपस्थिति, जिस उद्देश्य के लिए मामला स्थगित किया जा रहा

है और जिस पक्षकार की ओर से स्थगन मांगा गया है और दिया गया है, उसे उचित रूप से अभिलिखित करेंगे:

अभिलिखित किया गया: पीठासीन अधिकारी और/या सदस्य आदेश पारित करते समय पक्षकारगण और/या उनके अधिवक्तागण की उपस्थिति, जिस उद्देश्य के लिए मामले को स्थगित किया जा रहा है और जिस पक्षकार की ओर से स्थगन मांगा गया है और दिया गया है, उसे उचित रूप से अभिलिखित करेंगे। [पैरा 18(viii)]

किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 - धारा 7, 3 - किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 - विधि से संघर्षरत बालक (सीसीएल) के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 376(i), 342 और पोक्सो अधिनियम की धारा 4, 5, 6, 7 और 8 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई - सीसीएल पर बोर्ड द्वारा या बाल न्यायालय द्वारा एक वयस्क के रूप में विचारण किया जाना है, इस संबंध में तर्क प्रधान दंडाधिकारी और बोर्ड के सदस्य द्वारा सुने गए - मामले को आदेश हेतु दिनांक 05.04.2022 तक स्थगित कर दिया गया - दिनांक 05.04.2022 को बोर्ड के प्रधान दंडाधिकारी ने एक आदेश पारित किया जिसमें कहा गया कि प्रारंभिक निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट के अनुसार, सीसीएल पर बाल न्यायालय द्वारा एक वयस्क के रूप में विचारण किया जाना है - यद्यपि, जब फाइल बोर्ड के सदस्य के समक्ष हस्ताक्षर के लिए रखी गई, तो उन्होंने अभिलिखित किया कि उनका असहमतिपूर्ण दृष्टिकोण है और वे एक विस्तृत आदेश पारित करेंगे - कोई अलग आदेश पारित नहीं किया गया था - दिनांक 12.04.2022 को, प्रधान दंडाधिकारी की मौजूदगी

के बिना बोर्ड के दो सदस्यों द्वारा मामले की नए सिरे से सुनवाई की गई थी - आदेश पारित किया गया था कि प्रारंभिक निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट के अनुसार, सीसीएल द्वारा किए गए कथित अपराध के संबंध में जांच बोर्ड द्वारा किशोर के रूप में की जानी है - शुद्धता:

अभिनिर्धारित किया गया: अधिनियम की धारा 7 बोर्ड के संबंध में प्रक्रिया से संबंधित है - इसकी उप-धारा 3 में प्रावधान है कि बोर्ड, बोर्ड के किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति के बावजूद कार्य कर सकता है - बोर्ड द्वारा पारित कोई भी आदेश केवल कार्यवाही के किसी भी चरण के दौरान किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण अमान्य नहीं होगा - इसके परंतुक में प्रावधान है कि मामले के अंतिम निपटान या अधिनियम की धारा 18(3) के अंतर्गत आदेश देने के समय, प्रधान दंडाधिकारी सहित कम से कम दो सदस्य मौजूद होंगे - अधिनियम की धारा 7(4) में प्रावधान है कि यदि अंतरिम या अंतिम निपटान में कोई मतभेद है, तो बहुमत की राय अभिभावी होगी - जहां ऐसा कोई बहुमत नहीं है, वहां प्रधान दंडाधिकारी की राय अभिभावी होगी - अभिलेख का परिशीलन दर्शाता है कि दिनांक 29.03.2022 को आदेश सुरक्षित रखे जाने के बाद, मामले को दिनांक 05.04.2022 को आदेश के लिए सूचीबद्ध किया गया था- प्रधान दंडाधिकारी ने अपनी राय अभिलिखित की कि सीसीएल का विचारण बाल न्यायालय द्वारा किया जाना है - बोर्ड के अन्य सदस्य ने अपनी असहमति दर्ज की, हालांकि कोई विस्तृत कारण नहीं दिए गए - ऐसी स्थिति में प्रधान दंडाधिकारी की राय अभिभावी होगी - वर्तमान मामले में आदेश पर प्रधान दंडाधिकारी के हस्ताक्षर थे - भले ही बोर्ड के अन्य सदस्य ने आदेश पर

हस्ताक्षर नहीं किए हों और केवल उल्लेख किया हो कि उनका असहमतिपूर्ण दृष्टिकोण है, बिना कोई कारण अभिलिखित किए, प्रधान दंडाधिकारी का आदेश अभिभावी होगा - इस प्रकार, दिनांक 05.04.2022 को प्रधान दंडाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित बोर्ड द्वारा पारित आदेश अंतिम था। [पैरा 15.2, 15.4, 15.5]

मामला विधि उद्धृत

टॉपलाइन शूज़ लिमिटेड बनाम कॉर्पोरेशन बैंक [\[2002\] 3 एससीआर 1167](#); (2002) 6 एससीसी 33: 2002 आईएनएससी 287; कैलाश बनाम नन्हकू और अन्य [\[2005\] 3 एससीआर 289](#); (2005) 4 एससीसी 480: 2005 आईएनएससी 186; बिहार राज्य और अन्य बनाम बिहार राज्य भूमि विकास बैंक समिति [\[2018\] 7 एससीआर 1147](#); (2018) 9 एससीसी 472: 2018 आईएनएससी 648; सी. ब्राइट बनाम जिला और अन्य [\[2020\] 7 एससीआर 997](#); (2021) 2 एससीसी 392: 2020 आईएनएससी 633 - पर निर्भरता व्यक्त।

भोला बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2019) एससीसी ऑनलाइन एमपी 521; नीरज और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (2005) एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 611; एक्स बनाम राज्य (2019) एससीसी ऑनलाइन डेल 11164; सीसीएल बनाम दिल्ली राज्य (एनसीटी) (2023) एससीसी ऑनलाइन डेल 5063 - स्वीकृत।

बालाजी बलिराम मुपड़े और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2021) 12 एससीसी 603; बरुण चंद्र ठाकुर बनाम मास्टर भोल् और अन्य। [\[2022\] 10 एससीआर 595](#): 2022 आईएनएससी 716; शिल्पा मित्तल बनाम राज्य (दिल्ली का

एनसीटी) [\[2020\] 2 एससीआर 478](#): (2020) 2 एससीसी 787: 2020 आईएनएससी 25; एससीजी कॉन्ट्रैक्ट्स (इंडिया) (प्रा.) लिमिटेड बनाम के.एस. चमनकर इंफ्रास्ट्रक्चर (प्रा.) लिमिटेड [\[2019\] 3 एससीआर 1050](#): (2019) 12 एससीसी 210: 2019 आईएनएससी 187; एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और अन्य बनाम चेरियन वर्की कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य [\(2010\) 8 एससीआर 1053](#): (2010) 8 एससीसी 24: 2010 आईएनएससी 431; सुरजीत सिंह कालरा बनाम भारत संघ और अन्य [\[1991\] 1 एससीआर 364](#) : (1991) 2 एससीसी 87: 1991 आईएनएससी 36; राजबीर सिंह दलाल (डॉ.) बनाम चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा और अन्य [\[2008\] 11 एससीआर 992](#) : (2008) 9 एससीसी 284: 2008 आईएनएससी 913; केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, बैंक प्रतिभूति और धोखाधड़ी सेल बनाम रमेश गेल्ली और अन्य [\[2016\] 1 SCR 762](#): (2016) 3 SCC 788: 2016 आईएनएससी 134 - संदर्भित।

उद्धृत पुस्तकें और सामयिकी

न्यायमूर्ति जी.पी. सिंह द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत, 9 वां संस्करण, पृष्ठ 71-76 - संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015; किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016

मुख्य शब्दों की सूची

विधि से संघर्षरत बालक (सीसीएल); किशोर न्याय; बोर्ड के प्रधान दंडाधिकारी; प्रारंभिक निर्धारण रिपोर्ट; सामाजिक अन्वेषण

रिपोर्ट; किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 14(3) के अंतर्गत प्रारंभिक निर्धारण; बाल न्यायालय और सत्र न्यायालय; किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 101(2) के अंतर्गत अपील दायर करने की समय अवधि; पक्षकारगण और/या उनके अधिवक्तागण की उपस्थिति दर्ज करना।

से उद्भूत मामला

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं.
2411/2024

उच्च न्यायालय के दिनांक 15.11.2023 के निर्णय और आदेश
से

पक्षकारगण हेतु उपस्थितियाँ

एस. नागमुथु, सिद्धार्थ लूथरा, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री साक्षी कक्कड़, शक्ति सिंह, आर कार्तिक, टी हरि, अपीलार्थी हेतु अधिवक्तागण।

अमन पंवार, अति.महाअधि., वी.एन. रघुपति, मनेंद्र पाल गुप्ता, शिवम सिंह बघेल, हर्ष गट्टानी, प्रत्यर्थीगण हेतु अधिवक्तागण।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

माननीय न्या. श्री राजेश बिंदल,

अनुमति अनुदत्त।

संक्षिप्त तथ्य

- वर्तमान अपील विधि से संघर्षरत बालक द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को आक्षेपित करते हुए दायर की गई है।

3. उपरोक्त आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने बोर्ड द्वारा पारित दिनांक 10.04.2023 के आदेश को अपास्त कर दिया।
4. संक्षेप में, उपलब्ध अभिलिखित तथ्य यह हैं कि सीसीएल के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 376(i), 342 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 4, 5, 6, 7 और 8 के अंतर्गत अपराध करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दिनांक 03.11.2021 को उसकी गिरफ्तारी के बाद, सीसीएल को बोर्ड के समक्ष पेश किया गया। दिनांक 09.11.2021 को उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। अन्वेषण पूर्ण होने के बाद आरोप पत्र दायर किया गया। बोर्ड को यह निर्णीत करने के लिए बुलाया गया था कि सीसीएल का विचारण बोर्ड द्वारा या बाल न्यायालय द्वारा एक वयस्क के रूप में किया जाना है। मामले में दलीलें दिनांक 29.03.2022 को प्रधान दंडाधिकारी और बोर्ड के एक सदस्य द्वारा सुनी गईं। मामले को आदेश के लिए दिनांक 05.04.2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

4.1 दिनांक 05.04.2022 को, बोर्ड के प्रधान दंडाधिकारी ने एक आदेश पारित किया कि प्रारंभिक निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट के अनुसार, सीसीएल पर बाल न्यायालय द्वारा वयस्क के रूप में विचारण किया जाना है। रिकॉर्ड को संबंधित न्यायालय में स्थानांतरित करने का निदेश दिया गया था। यद्यपि, जब फाइल को बोर्ड के सदस्य के समक्ष हस्ताक्षर के लिए रखा गया, तो उन्होंने अभिलिखित किया: *"मैं उपरोक्त आदेश से असहमति रखता हूँ। मैं अगली सुनवाई की तिथि पर विस्तृत आदेश पारित करूंगा।"* मामले को दिनांक 12.04.2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बोर्ड के सदस्य द्वारा दिनांक 05.04.2022 को अभिलिखित किए गए अनुसार कोई अलग आदेश उनके द्वारा पारित नहीं किया गया था। दिनांक

12.04.2022 को मामले की बोर्ड के दो सदस्यों द्वारा प्रधान दंडाधिकारी की मौजूदगी के बिना नए सिरे से सुनवाई की गई। आदेश पारित किया गया कि प्रारंभिक निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट के अनुसार, सीसीएल द्वारा किए गए कथित अपराध के संबंध में जांच बोर्ड द्वारा किशोर के रूप में की जानी है।

4.2 किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 19 के अंतर्गत दिनांक 18.10.2022 को शिकायतकर्ता/पीड़िता की मां द्वारा बोर्ड के समक्ष कार्यवाही समाप्त करने और मामले को बाल न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए आवेदन दायर किया गया था, जिस पर सीसीएल द्वारा आपत्तियां दायर की गई थीं।

4.3 दिनांक 10.4.2023 के आदेश द्वारा बोर्ड ने आवेदन खारिज कर दिया।

4.4 उपरोक्त आदेश पर आक्षेप करते हुए, शिकायतकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की गई, जिसे अनुज्ञात कर लिया गया। बोर्ड द्वारा पारित दिनांक 10.04.2023 के आक्षेपित आदेश को अपास्त कर दिया गया। बोर्ड को निर्दिष्ट किया गया कि वह रिकॉर्ड को विचारण हेतु बाल न्यायालय को भेजे।

4.5 पूर्वोक्त आदेश को सीसीएल द्वारा इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।

अपीलार्थी की दलीलें

5. सीसीएल की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ लूथरा और श्री एस. नागमुथु ने प्रस्तुत किया कि तर्कों का पालन करते हुए आदेश पारित करने की प्रथा को इस न्यायालय द्वारा नकार दिया

गया है। जब कोई तर्क उपलब्ध नहीं होता है, तो यह संबंधित पक्षकार को उसके उचित उपाय का लाभ उठाने से वंचित करता है। इस मामले में, सबसे पहले प्रधान दंडाधिकारी ने उल्लेख किया कि आदेश उनके और बोर्ड के एक अन्य सदस्य द्वारा पारित किया जा रहा है। यद्यपि, बोर्ड के सदस्य ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। उन्होंने केवल यह उल्लेख किया कि वे प्रधान दंडाधिकारी के विचारों से असहमत हैं और अगली तिथि पर एक विस्तृत आदेश पारित करेंगे। मामले को दिनांक 12.04.2022 के लिए रखा गया था। तर्कों के समर्थन में, **बालाजी बलिराम मुपड़े और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य** में इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भरता व्यक्त की गई थी।

5.1 आगे तर्क दिया गया कि दिनांक 05.04.2022 को पारित आदेश विधि की दृष्टि में आदेश नहीं है। मामला दिनांक 12.04.2022 को सूचीबद्ध होने के कारण, बोर्ड के दो सदस्यों द्वारा दलीलें सुनी गईं, जिनमें वह सदस्य भी शामिल था, जिसने पहले आदेश पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। एक आदेश पारित किया गया जिसमें निर्दिष्ट किया गया कि अपराध की जांच बोर्ड द्वारा की जाएगी, जिसमें सीसीएल को किशोर माना जाएगा। उन्होंने आगे आप. वि.या. सं. 28749/2024 के साथ अभिलिखित दस्तावेजों को संदर्भित किया कि यहां तक कि प्रधान दंडाधिकारी भी उस तिथि को न्यायालय में मौजूद थे। उन्होंने भी दलीलें सुनी थीं, परंतु आदेश पर हस्ताक्षर नहीं किए। दिनांक 12.04.2022 को एक सुविचारित आदेश पारित किया गया था, जिसके विरुद्ध पीड़ित के पास उपलब्ध एकमात्र उपाय अपील दायर करना था।

5.2 आगे यह प्रस्तुत किया गया कि बोर्ड के समक्ष विचारण शुरू होने के लगभग छह महीने बाद, बोर्ड के समक्ष कार्यवाही को समाप्त करने और मामले को बाल न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए एक

आवेदन दायर किया गया था, जिस पर सीसीएल द्वारा आपत्तियां दायर की गई थीं। बोर्ड ने विधि की स्थिति को सही ढंग से समझा और पीड़िता की मां द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया।

5.3 यह प्रस्तुत किया गया कि भले ही तर्कों के लिए यह मान लिया जाए कि दिनांक 12.04.2022 को पारित आदेश विधिक रूप से संधार्य नहीं रह सकता। यह, अधिक से अधिक, दिनांक 05.04.2022 के आदेश को पुनर्जीवित कर सकता है जिसके विरुद्ध सीसीएल के पास अपील दायर करने का उपाय है। यद्यपि, दिनांक 12.04.2022 को आदेश पारित होने के बाद से जो घटनाक्रम हुए हैं, उन्हें देखते हुए, सीसीएल को अपील के अपने उपाय से वंचित कर दिया गया है। यदि इस न्यायालय का विचार है कि दिनांक 05.04.2022 को पारित आदेश एक आदेश था, तो सीसीएल को उसके विरुद्ध अपील का उपाय प्राप्त करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करने के साथ, सीसीएल को आदेश के विरुद्ध उपायहीन छोड़ दिया गया है।

5.4 अधिनियम की धारा 15(1) में सीसीएल की मानसिक स्थिति और शारीरिक क्षमता के विषय में प्रारंभिक निर्धारण का प्रावधान है, जिसने कथित रूप से जघन्य अपराध किया है। यदि बोर्ड संतुष्ट है कि मामले की जांच बोर्ड द्वारा की जानी है, तो वह विहित प्रक्रिया का पालन करेगा। यद्यपि, अधिनियम की धारा 18(3) के अनुसार बाल न्यायालय द्वारा सीसीएल के परीक्षण के लिए आदेश भी पारित किया जा सकता है। यह केवल निर्धारण है कि बोर्ड या बाल न्यायालय को जांच करनी है या विचारण करना है।

5.5 अधिनियम की धारा 18(3) में प्रावधान है कि अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत प्रारंभिक निर्धारण के बाद, बोर्ड यह आदेश पारित करेगा कि सीसीएल की वयस्क के रूप में विचारण की

आवश्यकता है। मामले के रिकॉर्ड को क्षेत्राधिकार वाले बाल न्यायालय में विचारण हेतु स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

5.6 अधिनियम की धारा 17 में बोर्ड के संबंध में प्रक्रिया का प्रावधान है। यह प्रस्तुत किया गया कि बोर्ड अपने आप में न्यायालय नहीं है और बोर्ड द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही को आदेश नहीं माना जाना चाहिए। यह केवल एक राय है। अधिनियम की धारा 2(10) में परिभाषित बोर्ड का अर्थ है धारा 4 के अंतर्गत गठित बोर्ड। इसमें कम से कम तीन वर्ष का अनुभव रखने वाला एक महानगर दंडाधिकारी या प्रथम श्रेणी का न्यायिक दंडाधिकारी, जो मुख्य महानगर दंडाधिकारी या मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नहीं है, और विहित रूप से चुने गए दो सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे, जिनमें से एक महिला होनी चाहिए।

5.7 अधिनियम की धारा 7(3) में प्रावधान है कि अधिनियम की धारा 18(3) के अंतर्गत मामले के अंतिम निपटान के समय या आदेश देते समय प्रधान दंडाधिकारी सहित कम से कम दो सदस्य उपस्थित होंगे।

5.8 यह भी प्रस्तुत किया गया कि बोर्ड द्वारा अधिनियम की धारा 18(3) के अंतर्गत पारित आदेश, जिसमें बाल न्यायालय द्वारा सीसीएल के विचारण को निर्दिष्ट किया गया है, के विरुद्ध सत्र न्यायालय में अपील की जाएगी।

5.9 अधिनियम की धारा 2(20) में बाल न्यायालय शब्द को परिभाषित किया गया है। इसका अर्थ है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के अंतर्गत स्थापित न्यायालय या 2012 अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय, और जहां ऐसे न्यायालयों को नामित नहीं किया गया है, वहां क्षेत्राधिकार रखने वाला सत्र न्यायालय। तर्क यह है कि अधिनियम की धारा 101

की उपधारा (1) और (2) में दो अलग-अलग प्राधिकरणों का उल्लेख किया गया है, अन्यथा अलग-अलग प्रावधानों की आवश्यकता नहीं थी। यही विधि की भावना है।

5.10 अधिनियम की धारा 19 बाल न्यायालय की शक्तियों से संबंधित है। धारा 15 के अंतर्गत बोर्ड से प्रारंभिक निर्धारण प्राप्ति के बाद, बाल न्यायालय यह निर्णय ले सकता है कि बालक पर वयस्क के रूप में विचारण किया जाना चाहिए या वयस्क के रूप में सीसीएल के विचारण की कोई आवश्यकता नहीं है। अधिनियम की धारा 101(5) के अनुसार बाल न्यायालय द्वारा पारित आदेश उच्च न्यायालय के समक्ष अपील योग्य है।

5.11 **किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016** के नियम 10क का संदर्भ दिया गया, जिसमें धारा 14 के अंतर्गत सीसीएल की आयु के संबंध में प्रारंभिक निर्धारण और अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा जांच या बाल न्यायालय द्वारा विचारण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

5.12 अधिनियम की उपरोक्त योजना को संदर्भित करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया कि अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत निर्धारण में आदेश पारित करने की परिकल्पना नहीं की गई है। यह केवल एक संतुष्टि अभिलिखित की गई है, और बोर्ड द्वारा दिनांक 05.04.2022 को कोई अंतिम संतुष्टि अभिलिखित नहीं की गई है क्योंकि सुनवाई की अगली तिथि दी गई थी। इस मामले पर बोर्ड को बाद में विचार करना था। वास्तव में, अधिनियम की धारा 18(3) के अंतर्गत कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। बोर्ड द्वारा पारित उत्तरवर्ती आदेशों दर्शाते हैं कि जांच पहले ही शुरू हो चुकी थी। बाद के चरण में शिकायतकर्ता ने बोर्ड के समक्ष कार्यवाही समाप्त करने के लिए एक आवेदन

दायर किया, जिसे दिनांक 10.04.2023 को खारिज कर दिया गया। आदेश अधिनियम की धारा 101(1) के अंतर्गत अपील योग्य था। यद्यपि, कोई अपील दायर नहीं की गई। दं.प्र.सं. की धारा 399 के साथ धारा 397 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण दायर किया गया था, जो संधार्य नहीं था।

5.13 आगे यह तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 14(3) के अनुसार, धारा 15 के अंतर्गत प्रारंभिक निर्धारण, बोर्ड के समक्ष सीसीएल के पहले पेश करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। इस मामले में, बालक को पहली बार दिनांक 03.11.2021 को बोर्ड के समक्ष पेश किया गया था। तीन महीने की अवधि दिनांक 02.02.2022 को समाप्त हो गई। बोर्ड द्वारा दिनांक 05.04.2022 को कोई आदेश पारित नहीं किया जा सका। इसका परिणाम यह है कि सीसीएल का विचारण बोर्ड द्वारा किया जाना है और उसके बाद बाल न्यायालय द्वारा उसके विचारण हेतु कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

5.14 इस न्यायालय के बरुनचंद्र ठाकुर बनाम मास्टर भोलू और अन्य मामले में दिए गए निर्णय पर निर्भरता व्यक्त करते हुए यह प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय का मत है कि अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त समयसीमा का पालन किया जाना चाहिए। यदि धारा 15 के अंतर्गत प्रारंभिक निर्धारण हेतु धारा 14(3) में प्रदान की गई समयसीमा को बढ़ाया नहीं जा सकता है, तो बाल न्यायालय द्वारा सीसीएल के विचारण हेतु कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। शिल्पा मित्तल बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भी निर्भरता व्यक्त की गई।

प्रत्यर्थागण के तर्क

6. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि बोर्ड द्वारा सीसीएल के विचारण हेतु मामले को बाल न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश पारित किए जाने के बाद भी, अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत बाल न्यायालय द्वारा इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। बाल न्यायालय द्वारा पारित कोई भी आदेश अधिनियम की धारा 101(5) के अंतर्गत अपील योग्य है। धारा 101(1) और 101(2) का दायरा अलग-अलग है। उप-धारा (1) अंतिम आदेशों से संबंधित है, जबकि उप-धारा (2) प्रारंभिक निर्धारण से संबंधित है। अपराध का विचारण केवल बाल न्यायालय द्वारा किया जाता है।

6.1 यह भी प्रस्तुत किया गया कि अधिनियम की धारा 15(1) के प्रावधान के अनुसार, बोर्ड उचित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अनुभवी मनोवैज्ञानिकों, मनो-सामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है।

6.2 इस मामले में, बाल एवं किशोर मनोचिकित्सा विभाग, एनआईएमएचएएनएस/निमहंस (राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान) -डीडब्ल्यूसीओ द्वारा दिनांक 01.02.2022 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। यह पुलिस निरीक्षक, मराठाहल्ली पुलिस स्टेशन द्वारा मनोचिकित्सक, निमहंस अस्पताल, बेंगलुरु को दिनांक 12.01.2022 को लिखे गए पत्र के उत्तर में था। पीछे जाकर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने बोर्ड के दिनांक 09.11.2021 के अंतरिम आदेश को संदर्भित किया, जिसके अनुसार बोर्ड ने अधिनियम की धारा 18(3) के अनुसार उत्तरवर्ती आदेश पारित करने में सक्षम बनाने के लिए बालक की सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट मांगी थी।

यद्यपि, दिनांक 06.12.2021 को कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई। मामले को दिनांक 06.12.2021 से दिनांक 11.01.2022 तक और उसके बाद दिनांक 21.02.2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट बोर्ड को दिनांक 19.02.2022 को प्राप्त हुई।

6.3 बाल न्यायालय द्वारा सीसीएल के विचारण या बोर्ड द्वारा जांच के मुद्दे पर दलीलें दिनांक 29.03.2022 को पूरी हो गई थी और मामला आदेश के लिए दिनांक 05.04.2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, जब प्रधान दंडाधिकारी ने बाल न्यायालय द्वारा सीसीएल के विचारण हेतु निर्दिष्ट करते हुए एक आदेश पारित किया। बोर्ड के एक अन्य सदस्य ने अपने हस्ताक्षर नहीं किए और अभिलिखित किया कि उनका असहमतिपूर्ण दृष्टिकोण है और वे अगली तिथि अर्थात् 12.04.2022 को विस्तृत आदेश पारित करेंगे। वास्तव में, अधिनियम की धारा 7(4) के संदर्भ में, फोरम(मंच) के निर्धारण की कार्यवाही, जिसे जांच या विचारण का संचालन करना था, उसी दिन समाप्त हो गई, क्योंकि प्रधान दंडाधिकारी की राय अंतिम होती है। जिस प्रकार से मामले का बाद में निपटान किया गया, वह विचित्र है। बोर्ड के समक्ष कार्यवाही समाप्त करने और मामले को बाल न्यायालय को संदर्भित करने के लिए पीड़िता द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कोई त्रुटि नहीं थी, जिसके लिए प्रधान दंडाधिकारी द्वारा दिनांक 05.04.2022 को पहले ही आदेश पारित किया जा चुका था।

6.4 यह भी तर्क दिया गया कि केवल इसलिए कि अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत कार्यवाही तीन महीने के भीतर पूरी नहीं की जा सकी, चूक से सीसीएल का विचारण बोर्ड द्वारा नहीं

किया जाएगा। इस प्रावधान को आज्ञापक नहीं माना जा सकता, क्योंकि अधिनियम में इस प्रकार की चूक का कोई परिणाम नहीं बताया गया है। धारा 14(4) के प्रावधान में भी समय बढ़ाने का प्रावधान है, यदि धारा 14(1) के अंतर्गत परिकल्पित जांच निर्धारित समय के भीतर पूरी नहीं की जा सकती।

6.5 आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि हालांकि अधिनियम की धारा 14(3) से संबंधित इस मामले में इस न्यायालय का कोई सीधा निर्णय नहीं है। यद्यपि, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों को संदर्भित किया: **भोला बनाम मध्य प्रदेश राज्य, नीरज और अन्य बनाम हरियाणा राज्य तथा एक्स बनाम राज्य।**

6.6 आगे यह तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत परिकल्पित जांच में अनुभवी मनोवैज्ञानिकों या मनो-सामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञों से राय लेने का प्रावधान है। अन्वेषक अधिकारी की भूमिका भी प्रासंगिक है क्योंकि वह उसी का अन्वेषण कर रहा है। इस प्रक्रिया में आशयपूर्वक विलंब किया जा सकता है जिससे लाभ उठाया जा सके, अगर किसी जघन्य अपराध में सीसीएल का विचारण बोर्ड द्वारा किया जाना है। जैसा कि इस मामले में है, अन्वेषक अधिकारी ने स्वयं निमहंस से रिपोर्ट प्राप्त करने में लगभग दो महीने लगा दिए। ऐसी स्थिति में बोर्ड को तर्क अभिलिखित किए जाने के लिए समय विस्तारण में शक्तिहीन नहीं माना जाना चाहिए। निस्संदेह, ऐसे मामले में सभी कार्यवाही यथासंभव शीघ्रता से पूरी की जानी चाहिए।

6.7 यह भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्भूत तर्कों में कोई गुणागुण नहीं है, इसलिए यदि उसे दिनांक 05.04.2022 के आदेश के विरुद्ध शिकायत है तो उसे चुनौती देने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। उसके बाद बहुत कुछ हो चुका है। उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत पुनरीक्षण में सभी संभावित तर्क उद्भूत किए गए और उन पर विचार किया गया। अपीलार्थी को निचले प्राधिकरण के समक्ष इसे उद्भूत करने की स्वतंत्रता देना व्यर्थ होगा। इससे प्रक्रिया में और विलंब होगा। अपील को खारिज करने की प्रार्थना की गई है।

विचार-विमर्श

7. पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण की बात सुनी तथा संबंधित संदर्भित अभिलेख का परिशीलन किया गया। हमने अपने निर्णय को विभिन्न भागों में विभाजित किया है, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

क्र.सं.	शीर्षक	पैरा सं.	पृष्ठ सं.
I.	प्रासंगिक प्रावधान।	8	16-37
II.	क्या अधिनियम की धारा 14(3) के अंतर्गत प्रारंभिक निर्धारण पूरा करने के लिए प्रदान की गई अवधि आज्ञापक है या निदेशात्मक।	9-9.28	37-57
III.	उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण	10-10.5	58-61

	शक्ति का प्रयोग।		
IV.	किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 101 में विषमता। (अ) 'बाल न्यायालय' और 'सत्र न्यायालय' के रूप में प्रयुक्त शब्दों के संबंध में। (आ) अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत बोर्ड के आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने का समय। (इ) द्वितीय अपील के संबंध में।	11-12.2 13-13.2 14-14.1	62-66 66-67 67-68
V.	बोर्ड द्वारा दिनांक 05.04.2022 को पारित आदेश की वैधता।	15-15.5	68-71
VI.	अपीलार्थी को अपील का उपचार।	16-16.2	71-72
VII.	अतिरिक्त मुद्दे।	17-17.3	72-74

VIII.	राहत और निदेश।	18-19	74-77
-------	----------------	-------	-------

I. प्रासंगिक प्रावधान

8. इस मामले में लागू विभिन्न कानूनों और नियमों के प्रासंगिक प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रासंगिक प्रावधानों के उद्धरण

"धारा 2 (10)। "बोर्ड" का अर्थ है धारा 4 के अंतर्गत गठित एक किशोर न्याय बोर्ड।

धारा 2(13). "विधि से संघर्षरत बालक" से तात्पर्य ऐसे बालक से है, जिसके विषय में यह आरोप लगाया गया है या पाया गया है कि उसने कोई अपराध किया है और जिसने ऐसे अपराध के घटित होने की तिथि को अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

धारा 2(20). "बाल न्यायालय" का तात्पर्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (4/2006) के अंतर्गत स्थापित न्यायालय या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय से है, जहां कहीं भी विद्यमान हो और जहां ऐसे न्यायालयों को नामित नहीं किया गया है, वहां अधिनियम के अंतर्गत अपराधों पर विचारण करने का क्षेत्राधिकार रखने वाला सत्र न्यायालय।

धारा 2(22). "समिति" का अर्थ है धारा 27 के अंतर्गत गठित बाल कल्याण समिति।

धारा 2(23). "न्यायालय" का तात्पर्य सिविल न्यायालय से है, जिसके पास अंगीकरण और संरक्षकता के मामलों में क्षेत्राधिकार है और इसमें जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय और शहर के सिविल न्यायालय शामिल हो सकते हैं।

धारा 2(33). "जघन्य अपराध" में वे अपराध शामिल हैं जिनके लिए भारतीय दंड संहिता (1860/45) या किसी अन्य वर्तमान विधि के अंतर्गत न्यूनतम दंड सात वर्ष या उससे अधिक कारावास है।

X X X

धारा 4. किशोर न्याय बोर्ड।—

(1) xx xx

(2) बोर्ड में एक महानगर दंडाधिकारी या प्रथम श्रेणी का न्यायिक दंडाधिकारी होगा, जो मुख्य महानगर दंडाधिकारी या मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (इसके बाद प्रधान दंडाधिकारी के रूप में संदर्भित) से भिन्न होगा, जिसके पास कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो और दो सामाजिक कार्यकर्ता, जो विहित रूप से चुने जाएंगे, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी, एक न्यायपीठ का गठन करेंगे और प्रत्येक ऐसी न्यायपीठ को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) द्वारा, यथास्थिति, महानगर दंडाधिकारी या प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी को प्रदत्त शक्तियां प्राप्त होंगी।

(3) से (7) xx xx

धारा 7. बोर्ड के संबंध में प्रक्रिया।—

(1) और (2) xx xx

(3) बोर्ड अपने किसी सदस्य की अनुपस्थिति में भी कार्य कर सकता है, और बोर्ड द्वारा पारित कोई भी आदेश केवल कार्यवाही के किसी भी चरण के दौरान किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण अवैध नहीं होगा:

परंतु यह कि मामले के अंतिम निपटान के समय या धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन आदेश पारित करने के समय प्रधान दंडाधिकारी सहित कम से कम दो सदस्य उपस्थित रहेंगे।

(4) अंतरिम या अंतिम निपटान में बोर्ड के सदस्यों के बीच किसी मतभेद की स्थिति में, बहुमत की राय अभिभावी होगी, किन्तु जहां ऐसा कोई बहुमत नहीं है, वहां प्रधान दंडाधिकारी की राय अभिभावी होगी।

X X X

धारा 14. विधि से संघर्षरत बालक के संबंध में बोर्ड द्वारा जांच।--

(1) जहां विधि का उल्लंघन करने वाला अभिकथित बालक बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है, वहां बोर्ड इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जांच करेगा और ऐसे बालक के संबंध में ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो वह इस अधिनियम की धारा 17 और 18 के अधीन उचित समझे।

(2) इस धारा के अधीन जांच बालक को बोर्ड के समक्ष प्रथम बार पेश किए जाने की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी, जब तक कि बोर्ड द्वारा मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा ऐसे विस्तार के लिए लिखित में कारण दर्ज करने के पश्चात्, अवधि को अधिकतम दो मास के लिए नहीं बढ़ाया जाता है।

(3) धारा 15 के अंतर्गत जघन्य अपराधों के मामले में प्रारंभिक निर्धारण का निपटान बोर्ड द्वारा बालक को बोर्ड के समक्ष पहली बार पेश किए जाने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(4) यदि बोर्ड द्वारा उपधारा (2) के अंतर्गत छोटे अपराधों के लिए की गई जांच विस्तारित अवधि के बाद भी अनिर्णीत रहती है, तो कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी:

परंतु यह कि गंभीर या जघन्य अपराधों के लिए, यदि बोर्ड को जांच पूरी करने के लिए समय में और विस्तार की आवश्यकता होती है, तो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी या मुख्य महानगर दंडाधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से समय में और विस्तार दिया जाएगा।

(5) xx xx

x x x

धारा 15. बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों का प्रारंभिक निर्धारण।- (1)

किसी ऐसे जघन्य अपराध के मामले में, जो किसी बालक द्वारा किया गया माना जाता है, जो सोलह वर्ष की आयु पूरी कर चुका है या उससे अधिक है, बोर्ड ऐसे अपराध करने की उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणामों को समझने की योग्यता और उन परिस्थितियों के संबंध में प्रारंभिक निर्धारण करेगा, जिनमें उसने कथित रूप से अपराध किया है, और धारा 18 की उपधारा (3) के प्रावधानों के अनुसार आदेश पारित कर सकता है:

परंतु यह कि ऐसे निर्धारण हेतु बोर्ड अनुभवी मनोवैज्ञानिकों या मनो-सामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञों की सहायता ले सकेगा।

स्पष्टीकरण।- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभिक निर्धारण कोई विचारण नहीं है, किन्तु इसका उद्देश्य ऐसे बालक की अपराध करने की क्षमता का आकलन करना तथा कथित अपराध के परिणामों को समझना है।

(2) जहां बोर्ड प्रारंभिक निर्धारण पर संतुष्ट है कि मामले का निपटान बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए, वहां बोर्ड, जहां तक संभव हो, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन समन मामले में विचारण हेतु प्रक्रिया का अनुसरण करेगा:

परंतु यह कि मामले के निपटान हेतु बोर्ड का आदेश धारा 101 की उपधारा (2) के अंतर्गत अपील योग्य होगा।

इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि इस धारा के अंतर्गत निर्धारण धारा 14 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

x x x

धारा 17. बालक के संबंध में आदेश, जो विधि से संघर्षरत न पाए जाएं।--(1) जहां बोर्ड जांच के बाद संतुष्ट हो जाता है कि उसके समक्ष लाए गए बालक ने कोई अपराध नहीं किया है, वहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी भी प्रतिकूल बात के होते हुए, बोर्ड उस आशय का आदेश पारित करेगा।

(2) यदि बोर्ड को ऐसा प्रतीत होता है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट बालक को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है, तो वह बालक को समुचित निदेशों के साथ समिति को संदर्भित कर सकेगा।

धारा 18. विधि से संघर्षरत पाए गए बालक के संबंध में आदेश

(1) व (2) xx xx

(3) जहां बोर्ड धारा 15 के अंतर्गत प्रारंभिक निर्धारण के पश्चात् आदेश पारित करता है कि उक्त बालक पर वयस्क के रूप में विचारण किए जाने की आवश्यकता है, वहां बोर्ड मामले के विचारण को ऐसे अपराधों पर विचारण करने के लिए क्षेत्राधिकार रखने वाले बाल न्यायालय को स्थानांतरित करने का आदेश दे सकता है।

धारा 19. बाल न्यायालय की शक्तियां।(1) धारा 15 के अंतर्गत बोर्ड से प्रारंभिक निर्धारण प्राप्त होने के पश्चात्, बाल न्यायालय यह निर्णय ले सकेगा कि-

- (i) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974/2) के प्रावधानों के अनुसार बालक पर एक वयस्क के रूप में विचारण किए जाने की आवश्यकता है और बालक की विशेष आवश्यकताओं, निष्पक्ष विचारण के सिद्धांतों और बालकों के लिए मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाए रखने पर विचार करते हुए, इस धारा और धारा 21 के प्रावधानों के अधीन विचारण के बाद उचित आदेश पारित किए जाने चाहिए;
- (ii) बालक पर वयस्क के रूप में विचारण किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और बोर्ड के रूप में जांच कर सकेगा तथा धारा 18 के प्रावधानों के अनुसार उचित आदेश पारित कर सकता है।

(2) बाल न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि विधि से संघर्षरत बालक के संबंध में अंतिम आदेश में बालक के पुनर्वास हेतु व्यक्तिगत देखभाल योजना शामिल होगी, जिसमें परिवीक्षा अधिकारी या जिला बाल संरक्षण इकाई या सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई भी शामिल होगी।

(3) बाल न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि विधि से संघर्षरत बालक को इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए तथा उसके बाद उस व्यक्ति को जेल में स्थानांतरित कर दिया जाए:

परंतु यह कि बालक को सुरक्षा के स्थान पर रहने की अवधि के दौरान शैक्षिक सेवाएं, कौशल विकास, वैकल्पिक चिकित्सा जैसे

परामर्श, व्यवहार संशोधन चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता सहित सुधारात्मक सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

(4) बाल न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि परिवीक्षा अधिकारी या जिला बाल संरक्षण इकाई या सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा, आवश्यकतानुसार, प्रति वर्ष आवधिक अनुवर्ती रिपोर्ट दी जाए, जिससे सुरक्षा के स्थान पर बालक की प्रगति का निर्धारण किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि बालक के साथ किसी भी रूप में कोई दुर्यवहार न हो।

(5) उप-धारा (4) के अधीन रिपोर्टें, आवश्यकतानुसार अभिलेख और अनुवर्ती कार्रवाई हेतु बाल न्यायालय को भेजी जाएंगी।

X X X

धारा 101. अपीलें- (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन समिति या बोर्ड द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की तिथि से तीस दिन के भीतर, बाल न्यायालय में अपील कर सकेगा, सिवाय समिति द्वारा पोषण देखरेख और प्रायोजन पश्चात् देखभाल से संबंधित निर्णयों के, जिसके लिए अपील जिला दंडाधिकारी के पास होगी:

बशर्ते कि सत्र न्यायालय या जिला दंडाधिकारी, जैसा भी मामला हो, उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील पर विचार कर सकेगा, यदि वह संतुष्ट हो कि अपीलार्थी को पर्याप्त कारण से समय पर अपील दायर करने से रोका गया था और ऐसी अपील का निर्णय तीस दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(2) अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत किसी जघन्य अपराध का प्रारंभिक निर्धारण करने के पश्चात् पारित बोर्ड के आदेश के

किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के प्रासंगिक नियम 10, 10क, 11 और 13 के उद्धरण

“नियम 10. बोर्ड द्वारा पेश किए जाने के बाद की प्रक्रियाएं.- (1) बोर्ड के समक्ष बालक को पेश किए जाने पर, बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि, बालक को पकड़ने की परिस्थितियां और बालक को पेश करने वाले अधिकारियों, व्यक्तियों, अभिकरणों द्वारा प्रदान की गई बालक द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध से संबंधित रिपोर्ट का बोर्ड द्वारा पुनर्विलोकन किया जाएगा और बोर्ड बालक के संबंध में ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे, जिसमें अधिनियम की धारा 17 और 18 के अंतर्गत आदेश भी शामिल हैं, अर्थात्:

- (i) मामले का निपटान, यदि उसकी पहली उपस्थिति के समय प्रस्तुत दस्तावेजों और रिकॉर्ड पर विचार करने पर, उसका विधि से संघर्ष निराधार प्रतीत होता है या जहां बालक पर छोटे अपराधों में शामिल होने का आरोप है;
- (ii) बालक को समिति को संदर्भित करना जहां बोर्ड को यह प्रतीत होता है कि बालक को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है;
- (iii) प्रपत्र 3 में आदेश के माध्यम से, बालक को उपयुक्त व्यक्तियों या उपयुक्त संस्थाओं या परिवीक्षा अधिकारियों की देखरेख या अभिरक्षा में छोड़ना, इस निदेश के साथ कि अगली तिथि को जांच के लिए बालक को उपस्थित किया जाए; तथा
- (iv) यदि आवश्यक हो तो प्रपत्र 4 में दिए गए आदेश के अनुसार जांच लंबित रहने तक बालक को बाल देखभाल संस्थान में रखने का निदेश दिया जाएगा।

(2) जांच लंबित रहने तक निर्मुक्ति के सभी मामलों में, बोर्ड सुनवाई की अगली तिथि को, प्रथम संक्षिप्त जांच के पंद्रह दिन के बाद अधिसूचित करेगा तथा परिवीक्षा अधिकारी से सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट भी मांगेगा, या यदि परिवीक्षा अधिकारी उपलब्ध न हो तो प्रपत्र 5 में आदेश के माध्यम से संबंधित बाल कल्याण अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता से रिपोर्ट मांगेगा।

(3) जब विधि से संघर्षरत अभिकथित बालक, जमानत पर स्वीकृत होने के पश्चात्, सुनवाई के लिए नियत तिथि को बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, और उसकी ओर से छूट के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसे छूट प्रदान करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं होता है, तो बोर्ड बालक को प्रस्तुत करने के लिए बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और पुलिस थाने के प्रभारी व्यक्ति को निदेश जारी करेगा।

(4) यदि बाल कल्याण पुलिस अधिकारी बालक को पेश करने के निदेश जारी होने के बाद भी बोर्ड के समक्ष बालक को पेश करने में विफल रहता है, तो बोर्ड दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 82 के अंतर्गत आदेश जारी करने के बजाय अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत समुचित आदेश पारित करेगा।

(5) ऐसे जघन्य अपराधों के मामलों में, जो किसी ऐसे बालक द्वारा किए गए हैं, जिसने सोलह वर्ष की आयु पूरी कर ली है, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, बालक को बोर्ड के समक्ष पहली बार पेश किए जाने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर, उसके द्वारा अभिलिखित साक्षियों के बयान तथा अन्वेषण के दौरान तैयार किए गए अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, जिसकी एक प्रति बालक या बालक के माता-पिता या संरक्षक को भी दी जाएगी।

(6) छोटे या गंभीर अपराधों के मामलों में, अंतिम रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष यथाशीघ्र दायर की जाएगी और किसी भी मामले में पुलिस को सूचना देने की तिथि से दो महीने की अवधि से अधिक नहीं, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां यह उचित रूप से ज्ञात नहीं था कि अपराध में शामिल व्यक्ति एक बालक था, ऐसे मामले में बोर्ड द्वारा अंतिम रिपोर्ट दायर करने के लिए समय का विस्तार दिया जा सकता है।

(7) जब किसी बालक के संबंध में जांच में, जिसके विषय में यह आरोप लगाया गया है कि वह विधि से संघर्षरत है, साक्षियों को परीक्षण हेतु पेश किया जाता है, तो बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि जांच कठोर विरोधात्मक कार्यवाही की भावना से नहीं की जाती है और वह बालक से पूछताछ करने तथा बालक के पक्ष में उपधारणाओं के साथ आगे बढ़ने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872/1) की धारा 165 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(8) अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत परीक्षण के दौरान, विधि से संघर्षरत कथित बालक की जांच करते समय तथा उसके बयान को अभिलिखित करते समय, बोर्ड बालक को सहज महसूस कराने तथा उसे बिना किसी भय के तथ्यों और परिस्थितियों को बताने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बालक से बाल-मैत्रीपूर्ण तरीके से बात करेगा, न केवल उस अपराध के संबंध में जिसका बालक के विरुद्ध आरोप लगाया गया है, परंतु घर और सामाजिक परिवेश तथा बालक पर पड़ने वाले अपराधों के प्रभाव के संबंध में भी।

(9) बोर्ड, बालक को पकड़ने की परिस्थितियों और उसके द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध से संबंधित रिपोर्ट तथा परिवीक्षा अधिकारी या स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठन द्वारा तैयार किए

गए प्रपत्र 6 में सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट तथा निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पक्षकारगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को ध्यान में रखेगा।

नियम 10क. बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों का प्रारंभिक निर्धारण.-

(1) बोर्ड प्रथमतः यह अवधारित करेगा कि बालक की आयु सोलह वर्ष या उससे अधिक है; यदि नहीं, तो वह अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करेगा।

(2) जघन्य अपराधों के मामले में प्रारंभिक निर्धारण करने के उद्देश्य से, बोर्ड मनोवैज्ञानिकों या मनो-सामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है, जिन्हें कठिन परिस्थितियों में बालकों के साथ काम करने का अनुभव हो। जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा ऐसे विशेषज्ञों का एक पैनल उपलब्ध कराया जा सकता है, जिनकी सहायता बोर्ड द्वारा ली जा सकती है या स्वतंत्र रूप से प्राप्त की जा सकती है।

(3) प्रारंभिक निर्धारण करते समय, बालक को निर्दोष माना जाएगा जब तक कि अन्यथा प्रमाणित न हो जाए।

(4) जहां बोर्ड, अधिनियम की धारा 15 के अधीन प्रारंभिक निर्धारण के पश्चात् यह आदेश पारित करता है कि उक्त बालक पर वयस्क के रूप में विचारण किए जाने की आवश्यकता है, वहां वह इसके लिए कारण बताएगा और इस आदेश की प्रति बालक को तुरन्त उपलब्ध कराई जाएगी।

नियम 11. जांच का पूरा होना.- (1) जहां अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत प्रारंभिक निर्धारण के पश्चात्, किसी बालक द्वारा कथित रूप से किए गए जघन्य अपराधों के मामले में, बोर्ड मामले का निपटान करने का निर्णय लेता है, वहां बोर्ड अधिनियम की

धारा 18 में विनिर्दिष्ट कोई भी निपटान आदेश पारित कर सकता है।

(2) आदेश पारित करने से पहले, बोर्ड आदेशानुसार परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा तैयार प्रपत्र 6 में सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त करेगा, तथा रिपोर्ट के निष्कर्षों को ध्यान में रखेगा।

(3) बोर्ड द्वारा पारित सभी निपटान आदेशों में संबंधित विधि से संघर्षरत बालक हेतु प्रपत्र 7 में एक व्यक्तिगत देखभाल योजना शामिल होगी, जिसे परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या किसी मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन द्वारा, जहां संभव हो, बालक और उसके परिवार के साथ बातचीत के आधार पर तैयार किया जाएगा।

(4) जहां बोर्ड इस बात से संतुष्ट हो कि किसी बालक को विशेष गृह में रखना न तो स्वयं बालक के हित में है और न ही अन्य बालकों के हित में है, वहां बोर्ड बालक को सुरक्षित स्थान पर तथा उसके द्वारा उचित समझे जाने वाले तरीके से रखने का आदेश दे सकता है।

(5) जहां बोर्ड सलाह या भर्त्सना के बाद या समूह परामर्श में भाग लेने के बाद बालक को निर्मुक्त करने का निर्णय लेता है या उसे सामुदायिक सेवा करने का आदेश देता है, वहां बोर्ड द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई को ऐसे परामर्श और सामुदायिक सेवा की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक निदेश भी जारी किया जा सकता है।

(6) जहां बोर्ड विधि से संघर्षरत बालक को परिवीक्षा पर छोड़ने तथा उसे माता-पिता या अभिभावक या उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में रखने का निर्णय लेता है, वहां जिस व्यक्ति की

अभिरक्षा में बालक को छोड़ा गया है, उससे अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए बालक के अच्छे आचरण और कल्याण के लिए प्रपत्र 8 में लिखित वचनबद्धता प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जा सकती है।

(7) बोर्ड, प्रपत्र 9 में बिना किसी जमानत के व्यक्तिगत बांड के निष्पादन पर विधि से संघर्षरत बालक की निर्मुक्ति का आदेश दे सकता है।

(8) बालक को उपयुक्त सुविधा या विशेष गृह में रखने की स्थिति में, बोर्ड इस बात पर विचार करेगा कि उपयुक्त सुविधा या विशेष गृह बालक के माता-पिता या अभिभावक के निवास स्थान के सबसे निकट स्थित है, सिवाय इसके कि ऐसा करना बालक के सर्वोत्तम हित में न हो।

(9) बोर्ड, जहां वह किसी बालक को परिवीक्षा पर निर्मुक्त करता है और उसे माता-पिता या संरक्षक या योग्य व्यक्ति की देखरेख में रखता है या जहां बालक को परिवीक्षा पर निर्मुक्त करता है और उसे उपयुक्त सुविधा की देखरेख में रखता है, वह यह भी आदेश दे सकता है कि बालक को परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में रखा जाए जो प्रपत्र 10 में आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और ऐसे पर्यवेक्षण की अवधि अधिकतम तीन वर्ष होगी।

(10) जहां बोर्ड को ऐसा प्रतीत होता है कि बालक ने परिवीक्षा शर्तों का पालन नहीं किया है, तो वह बालक को अपने समक्ष पेश करने का आदेश दे सकता है तथा पर्यवेक्षण की शेष अवधि के लिए बालक को विशेष गृह या सुरक्षित स्थान पर भेज सकता है।

(11) किसी भी मामले में विशेष गृह या सुरक्षित स्थान में रहने की अवधि अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (छ) में प्रदान की गई अधिकतम अवधि से अधिक नहीं होगी।

x x x

नियम 13. बाल न्यायालय और अनुश्रवण प्राधिकरणों के संबंध में प्रक्रिया.-

- (1) बोर्ड से प्रारंभिक निर्धारण प्राप्त होने पर बाल न्यायालय यह निर्णय ले सकता है कि बालक पर वयस्क के रूप में या बालक के रूप में विचारण किए जाने की आवश्यकता है और उचित आदेश पारित कर सकता है।
- (2) जहां बालक की आयु घोषित करने वाले बोर्ड के आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा 101 की उपधारा (1) के अधीन अपील दायर की गई है, वहां बाल न्यायालय पहले उक्त अपील पर निर्णय करेगा।
- (3) जहां बोर्ड द्वारा किए गए प्रारंभिक निर्धारण के निष्कर्ष के विरुद्ध अधिनियम की धारा 101 की उपधारा (2) के अंतर्गत अपील दायर की गई है, वहां बाल न्यायालय पहले अपील पर निर्णय करेगा।
- (4) जहां अधिनियम की धारा 101 की उपधारा (2) के अधीन अपील का निपटान बाल न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष पर किया जाता है कि बालक पर वयस्क के रूप में विचारण की आवश्यकता नहीं है, वहां वह उसका निपटान अधिनियम की धारा 19 और इन नियमों के अनुसार करेगा।
- (5) जहां अधिनियम की धारा 101 की उपधारा (2) के अधीन अपील का निपटान बाल न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष पर

किया जाता है कि बालक पर वयस्क के रूप में विचारण किया जाना चाहिए, वहां बाल न्यायालय बोर्ड से मामले की फाइल मंगाएगा तथा अधिनियम और इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार मामले का निपटान करेगा।

- (6) बाल न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचते समय अपने तर्कों को अभिलिखित करेगा कि बालक के साथ एक वयस्क के रूप में व्यवहार किया जाए या एक बालक के रूप में।
- (7) जहां बाल न्यायालय यह निर्णय लेता है कि बालक पर वयस्क के रूप में विचारण किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तथा वह स्वयं ही मामले का निर्णय करेगा:
 - (i) वह जांच इस प्रकार कर सकता है मानो वह एक बोर्ड के रूप में कार्य कर रहा हो तथा अधिनियम और इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार मामले का निपटान कर सकता है।
 - (ii) बाल न्यायालय, जांच करते समय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत समन मामले में सुनवाई की प्रक्रिया का पालन करेगा।
 - (iii) कार्यवाही बंद कमरे में तथा बाल-अनुकूल माहौल में की जाएगी, तथा विधि से संघर्षरत कथित बालक का किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संयुक्त विचारण नहीं किया जाएगा जो बालक नहीं है।
 - (iv) जब साक्षियों को परीक्षण हेतु पेश किया जाता है तो बाल न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि जांच सख्त विरोधात्मक कार्यवाही की भावना से नहीं की जाती है और वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 165 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(v) विधि से संघर्षरत किसी बालक का परीक्षण करते समय और उसका बयान अभिलिखित करते समय, बाल न्यायालय बालक को सहज महसूस कराने के लिए तथा उसे बिना किसी भय के तथ्यों और परिस्थितियों को बताने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बालक से बाल-मैत्रीपूर्ण तरीके से बात करेगा, न केवल बालक के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में, परंतु घर और सामाजिक परिवेश तथा बालक पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में भी।

(vi) बाल न्यायालय द्वारा पारित निपटान आदेश में आवश्यक रूप से संबंधित विधि से संघर्षरत बालक के लिए प्रपत्र 7 में एक व्यक्तिगत देखभाल योजना शामिल होगी, जिसे परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन द्वारा, जहां संभव हो, बालक और उसके परिवार के साथ बातचीत के आधार पर तैयार किया जाएगा।

(vii) ऐसे मामलों में बाल न्यायालय अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) और (2) के अनुसार कोई भी आदेश पारित कर सकेगा।

(8) जहां बाल न्यायालय यह निर्णय लेता है कि बालक पर वयस्क के रूप में विचारण किए जाने की आवश्यकता है:

(i) इसमें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, जिसमें सत्रों के आधार पर विचारण किया जाएगा तथा बाल-अनुकूल वातावरण बनाए रखा जाएगा।

(ii) बाल न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश में आवश्यक रूप से प्रपत्र 7 के अनुसार बालक के लिए एक व्यक्तिगत

देखभाल योजना शामिल होगी, जिसे परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन द्वारा, जहां संभव हो, बालक और उसके परिवार के साथ बातचीत के आधार पर तैयार किया जाएगा।

(iii) जहां बालक अपराध में संलिप्त पाया जाता है, वहां बालक को इक्कीस वर्ष की आयु तक सुरक्षित स्थान पर भेजा जा सकता है।

(iv) जब तक बालक सुरक्षित स्थान पर रहेगा, तब तक परिवीक्षा अधिकारी या जिला बाल संरक्षण इकाई या सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा प्रपत्र 13 में बालक की प्रगति का निर्धारण करने के लिए वार्षिक पुनर्विलोकन किया जाएगा और रिपोर्ट बाल न्यायालय को भेजी जाएगी।

(v) बाल न्यायालय बालक की प्रगति और व्यक्तिगत देखभाल योजना के कार्यान्वयन हेतु संस्था द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का निर्धारण करने के उद्देश्य से बालक को समय-समय पर और कम से कम हर तीन महीने में एक बार अपने समक्ष पेश करने का निर्देश भी दे सकता है।

(vi) जब बालक इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है और अभी तक रहने की अवधि पूरी नहीं करता है, तो बाल न्यायालय:

(क) बालक के साथ संपर्क करके यह निर्धारण करें कि क्या बालक में सुधारात्मक परिवर्तन हुए हैं और क्या वह समाज में योगदान देने वाला सदस्य बन सकता है।

(ख) यदि आवश्यक हो तो परिवीक्षा अधिकारी या जिला बाल संरक्षण इकाई या किसी सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा तैयार की गई बालक की प्रगति की आवधिक रिपोर्टों को ध्यान में रखें और यदि आवश्यक हो तो संस्थागत तंत्र को मजबूत करने का निदेश दें।

(ग) से (घड़) xx xx

(vii) xx xx”

यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के प्रासंगिक प्रावधान का उद्धरण

"धारा 28। विशेष न्यायालयों का पदनाम

(1) शीघ्र विचारण उपलब्ध कराने के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक जिले के लिए एक सत्र न्यायालय को अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के विचारण हेतु विशेष न्यायालय के रूप में नामित करेगी:

परंतु यह कि यदि सत्र न्यायालय को बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006/4) के अंतर्गत बाल न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया जाता है या किसी अन्य विधि के अंतर्गत समान प्रयोजनों के लिए नामित विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया जाता है, तो ऐसा न्यायालय इस धारा के अंतर्गत विशेष न्यायालय माना जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय, विशेष न्यायालय ऐसे अपराध का भी विचारण करेगा [उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपराध से भिन्न], जिसका आरोप

अभियुक्त पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन उसी विचारण में लगाया जा सकता है।

- (3) इस अधिनियम के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय को, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000/21) में किसी बात के होते हुए भी, उस अधिनियम की धारा 67ख के अंतर्गत अपराधों पर विचारण करने का अधिकार होगा, जहां तक वह बालकों को किसी कृत्य, आचरण या तरीके से चित्रित करने वाली यौन रूप से स्पष्ट सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण से संबंधित है या बालकों के ऑनलाइन दुरुपयोग की सुविधा प्रदान करता है।

II. क्या अधिनियम की धारा 14(3) के अंतर्गत प्रारंभिक निर्धारण पूरा करने के लिए प्रदान की गई अवधि आज्ञापक है या निदेशात्मक है।

9. अधिनियम की धारा 15 बोर्ड को जघन्य अपराधों में प्रारंभिक निर्धारण करने में सक्षम बनाती है, जहां ऐसा अपराध 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच के बालक द्वारा किया गया है। प्रारंभिक निर्धारण ऐसे अपराध को करने की उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता और उन परिस्थितियों के संबंध में किया जाना है, जिनमें कथित रूप से अपराध किया गया था। उक्त धारा के परंतुक में यह प्रावधान है कि ऐसा निर्धारण करने के लिए बोर्ड किसी अनुभवी मनोवैज्ञानिक या मनो-सामाजिक कार्यकर्ता या अन्य विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है। इसके स्पष्टीकरण में यह प्रावधान है कि प्रारंभिक निर्धारण की प्रक्रिया एक परीक्षण नहीं है, परंतु केवल ऐसे बालक की कथित अपराध करने और उसके परिणामों को समझने की क्षमता का निर्धारण करना है। विशेषज्ञ की सहायता का महत्व अधिनियम की धारा 101(2) से भी स्पष्ट है। धारा 15 के अंतर्गत पारित आदेश के विरुद्ध

अपील पर विचार करते समय, अपील प्राधिकरण बोर्ड की सहायता करने वाले विशेषज्ञों के अलावा अन्य विशेषज्ञों की सहायता भी ले सकता है।

9.1 इस न्यायालय ने बरुण चंद्र ठाकुर (पूर्वोक्त) मामले में उक्त प्रावधान के महत्व पर विचार किया था, जहां ऐसी सहायता की आवश्यकता को आज्ञापक अभिनिर्धारित किया गया था, भले ही अधिनियम की धारा 15(1) और धारा 101(2) के प्रावधान में प्रयुक्त शब्द 'कर सकेगा' हैं।

9.2 अधिनियम की धारा 14(3) में प्रावधान है कि धारा 15 के अनुसार प्रारंभिक निर्धारण बोर्ड द्वारा बालक को बोर्ड के समक्ष पहली बार पेश करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना है।

9.3 यदि बोर्ड अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत प्रारंभिक निर्धारण के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सीसीएल का परीक्षण एक वयस्क के रूप में किया जाना है, तो बोर्ड क्षेत्राधिकार वाले बाल न्यायालय को रिकॉर्ड स्थानांतरित कर देगा।

9.4 अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्भूत किया गया तर्क यह था कि सीसीएल दिनांक 03.11.2021 को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। तीन महीने की अवधि दिनांक 02.02.2022 को समाप्त हो गई है, उसके बाद बोर्ड द्वारा पारित कोई भी आदेश अमान्य है, और सीसीएल का परीक्षण अब बाल न्यायालय में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

9.5 हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या धारा 14 के अंतर्गत जांच के समापन के लिए निर्धारित समय-सीमा आज्ञापक है या निदेशात्मक?

9.6 अधिनियम की धारा 14 की योजना के अनुसार, इसकी उपधारा (1) में यह प्रावधान है कि जब कोई सीसीएल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, तो जांच करने के पश्चात्, वह ऐसे सीसीएल के संबंध में अधिनियम

की धारा 17 और 18 के अंतर्गत जैसा उचित समझे, आदेश पारित कर सकता है।

9.7 अधिनियम की धारा 17 में ऐसे बालक के विषय में आदेश पारित करने की परिकल्पना की गई है जो विधि से संघर्षरत नहीं पाया गया है। जबकि धारा 18 (1) में ऐसे बालक के मामले में पारित आदेश की परिकल्पना की गई है जो विधि से संघर्षरत पाया गया हो। इसमें 16 वर्ष या उससे अधिक आयु का बालक शामिल है जो किसी जघन्य अपराध में शामिल है, परंतु बोर्ड द्वारा जांच की जानी है।

9.8 अधिनियम की धारा 14(2) में यह प्रावधान है कि धारा 14(1) के अंतर्गत परिकल्पित जांच बोर्ड के समक्ष बालक को पहली बार पेश किए जाने की तिथि से चार महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। बोर्ड द्वारा तर्क को अभिलिखित करके अधिकतम दो महीने की अवधि के लिए समय बढ़ाया जा सकता है। अधिनियम की धारा 14(4) में केवल छोटे अपराधों के संदर्भ में ऐसी किसी भी जांच के निष्फल होने के परिणामों का प्रावधान किया गया है। उपरोक्त उप-धारा में यह प्रावधान है कि यदि छोटे अपराधों के लिए उप-धारा (2) के अंतर्गत बोर्ड द्वारा की गई जांच विस्तारित अवधि के बाद भी अनिर्णायक रहती है, तो कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी। उपरोक्त उप-धारा के परंतुक में यह प्रावधान है कि यदि बोर्ड को गंभीर और जघन्य अपराधों की जांच पूरी करने के लिए समय के और विस्तार की आवश्यकता होती है, तो इसे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी या, जैसा भी मामला हो, मुख्य महानगर दंडाधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले तर्कों से प्रदान किया जाएगा।

9.9 इसका अर्थ यह है कि जहां तक अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत जघन्य अपराधों के लिए बोर्ड द्वारा सीसीएल की जांच

का संबंध है, ऐसी कोई समय सीमा नहीं है जिसके बाद जांच आगे नहीं बढ़ाई जा सकती या उसे समाप्त करना होगा।

9.10 अब आते हैं मुद्दे पर। इसमें कोई विवाद नहीं है कि सीसीएल ने कथित रूप से जघन्य अपराध किया है। यह तर्क अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत प्रारंभिक निर्धारण के समापन और अधिनियम की धारा 15(2) या 18(3) के अंतर्गत आदेश पारित करने के लिए प्रदान की गई अवधि के संदर्भ में है, अर्थात् क्या मामले की जांच बोर्ड द्वारा की जानी है या सीसीएल को वयस्क के रूप में विचारण हेतु बाल न्यायालय को स्थानांतरित किया जाना है।

9.11 हम यहाँ यह भी जोड़ सकते हैं कि धारा 18(3) का स्थान उचित नहीं लगता। धारा 18 की उप-धाराएँ (1) और (2) सीसीएल के विरुद्ध जाँच पर बोर्ड द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेशों से संबंधित हैं, जबकि उप-धारा (3) में बोर्ड द्वारा यह आदेश पारित करने की परिकल्पना की गई है कि क्या सीसीएल का विचारण बाल न्यायालय द्वारा प्रारंभिक निर्धारण के संदर्भ में किया जाना है, जैसा कि धारा 15 में परिकल्पित है। इस प्रकार के आदेश को धारा 15 में ही उप-धारा (2) के बाद रखा जा सकता है।

9.12 अधिनियम की धारा 15(1) में परिकल्पित जांच बोर्ड को अनुभवी मनोवैज्ञानिकों या मनो-सामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञों से सहायता लेने में सक्षम बनाती है। परंतुक का उद्देश्य प्राप्त करने से संबंध है। यह अधिनियम सीसीएल से संबंधित है। धारा 15 में परिकल्पित प्रारंभिक निर्धारण के बड़े निहितार्थ हैं, अर्थात्, क्या सीसीएल के विरुद्ध जांच बोर्ड द्वारा की जानी है, जहां अंतिम दंड, जो अधिरोपित किया जा सकता है, कम है या

सीसीएल को वयस्क मानते हुए बाल न्यायालय द्वारा विचारण किया जाना है, जहां दंड कड़ा हो सकता है।

9.13 जैसा कि पहले देखा गया है, अधिनियम की धारा 15(1) के अनुसार बोर्ड द्वारा जघन्य अपराध का प्रारंभिक निर्धारण अधिनियम की धारा 14(3) के अनुसार तीन महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना है। इस प्रकार अधिनियम में समय के विस्तार का प्रावधान नहीं है और न ही अनुमेय समय के भीतर जांच पूरी न होने के परिणाम निर्धारित किए गए हैं। इसके अभाव में जांच पूरी करने की समय सीमा निर्धारित करने वाले प्रावधान को आज्ञापक नहीं माना जा सकता। गंभीर या जघन्य अपराधों के संदर्भ में विधान-मंडल की मंशा अधिनियम की धारा 14 की भाषा से भी पता चलती है, जो स्वयं बोर्ड द्वारा जांच पूरी करने के लिए समय के और विस्तार का प्रावधान करती है, जिसे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी या मुख्य महानगर दंडाधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से दिया जाएगा। यह दो महीने के विस्तार के अतिरिक्त है जिसे बोर्ड स्वयं दे सकता है।

9.14 चूंकि प्रारंभिक जांच की प्रक्रिया में कई लोग शामिल होते हैं, जैसे अन्वेषक अधिकारी, विशेषज्ञ जिनकी राय ली जानी है, और उसके बाद बोर्ड के समक्ष कार्यवाही, जहां विभिन्न कारणों से कोई भी पक्षकार कार्यवाही में विलंब कर सकता है, हमारी राय में धारा 14(3) में दिए गए समय को आज्ञापक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अधिनियम की धारा 14(4) के अनुसार छोटे अपराधों की जांच के मामले में विफलता के कोई परिणाम नहीं दिए गए हैं। यदि हम मामले के तथ्यों को देखें, तो अन्वेषक अधिकारी ने निमहंस से रिपोर्ट प्राप्त करने में लगभग दो महीने का समय लिया था।

9.15 जहाँ किसी क़ानून में विहित अवधि के लिए चूक के परिणामों का उल्लेख नहीं किया गया है, वहाँ उसे आज्ञापक नहीं माना जा सकता। इस उद्देश्य के लिए, इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों का संदर्भ लिया जा सकता है।

9.16 इस न्यायालय ने टॉपलाइन शूज़ लिमिटेड बनाम कॉर्पोरेशन बैंक में निरस्त उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 13(2)(क) की व्याख्या करते हुए शिकायत पर जवाब दायर करने के लिए समय सीमा निर्धारित की, इसे निदेशात्मक प्रकृति का अभिनिर्धारित किया। इसका प्रासंगिक पैरा 11 नीचे उद्धृत किया गया है:

"11. हमने पहले ही देखा है कि धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (क) के अंतर्गत निहित प्रावधान प्रक्रियात्मक प्रकृति का है। यह भी स्पष्ट है कि अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, जिससे ऐसे मामलों का शीघ्र निपटान हो सके, यह प्रावधान किया गया है कि उत्तर 30 दिनों के भीतर दायर किया जाना है और समय का विस्तार 15 दिनों से अधिक नहीं हो सकता है। इस प्रावधान में यह परिकल्पना की गई है कि विरोधी पक्षकार द्वारा अपना उत्तर दायर किए बिना कार्यवाही बहुत लंबे समय तक नहीं बढ़ाई जा सकती है। यद्यपि, समय के विस्तार के 15 दिनों से अधिक होने की स्थिति में कोई दंडात्मक परिणाम प्रदान नहीं किया गया है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी के पक्ष में कोई मूल अधिकार अर्जित हुआ है या विस्तारित समय के भीतर उत्तर दायर करने में किसी प्रकार की सीमा का वर्जन था, भले ही कुल मिलाकर 45 दिन से अधिक हो। उत्तर को अनिवार्य रूप से अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। मामले के

सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह भी प्रावधान है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।”

(जोर दिया गया)

9.17 इस न्यायालय ने कैलाश बनाम नन्हकू और अन्य मामले में सि.प्र.सं. के आदेश VIII नियम 1 की व्याख्या करते हुए लिखित बयान दायर करने के लिए समय सीमा निर्धारित की थी, तथा इसे निदेशात्मक प्रकृति का अभिनिर्धारित किया था। इसके प्रासंगिक पैरा 30 और 46 नीचे उद्धृत किए गए हैं:

"30. यह भी ध्यान देने योग्य है कि हालांकि नियम 1 आदेश 8 में संलग्न परंतुक के अंतर्गत न्यायालय की शक्ति "नब्बे दिन से अधिक नहीं होगी" शब्दों द्वारा सीमित है, परंतु समय का विस्तार न दिए जाने से होने वाले परिणामों के लिए विशेष रूप से प्रावधान नहीं किया गया है, हालांकि उन्हें आवश्यक निहितार्थ द्वारा पढ़ा जा सकता है। केवल इसलिए कि विधि का प्रावधान अनिवार्य रूप को दर्शाने वाली नकारात्मक भाषा में लिखा गया है, यह अपवादों से रहित नहीं है। न्यायालयों को, जब प्रावधान की प्रकृति की व्याख्या करने के लिए कहा जाता है, तो वे उस संपूर्ण संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, जिसमें प्रावधान अधिनियमित किया गया था, उसे नकारात्मक रूप में शब्दबद्ध होने के बावजूद निदेशात्मक मान सकते हैं।

X X X

46. हम संक्षेप में अपने निष्कर्षों को निम्नानुसार बताते हैं:

(i) - (iii) XXXX

(iv) सि.प्र.सं. के आदेश 8 नियम 1 के अंतर्गत लिखित बयान दायर करने के लिए समय सारणी प्रदान करने का उद्देश्य सुनवाई में तेजी लाना है, न कि उसे बाधित करना। यह प्रावधान प्रतिवादी पर एक असमर्थता को स्पष्ट करता है। यह समय बढ़ाने के लिए न्यायालय की शक्ति पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। हालाँकि सि.प्र.सं. के नियम 1 आदेश 8 के परंतुक की भाषा नकारात्मक रूप में लिखी गई है, परंतु यह गैर-अनुपालन से उत्पन्न होने वाले किसी भी दंडात्मक परिणाम को निर्दिष्ट नहीं करता है। प्रावधान को प्रक्रियात्मक विधि के क्षेत्र में होने के कारण इसे निदेशात्मक माना जाना चाहिए न कि आज्ञात्मक। सि.प्र.सं. के आदेश 8 नियम 1 द्वारा प्रदत्त समय सारणी से परे लिखित बयान दायर करने के लिए समय बढ़ाने की न्यायालय की शक्ति को पूर्ण रूप से नहीं छीना गया है।

(v) हालाँकि सि.प्र.सं. का आदेश 8 नियम 1 प्रक्रियात्मक विधि का एक हिस्सा है और इसलिए निदेशात्मक है, सिविल मामलों की शीघ्र विचारण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिसने संसद को अपने वर्तमान स्वरूप में प्रावधान को अधिनियमित करने के लिए मनाया, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि आमतौर पर प्रावधान में निहित समय सारणी का एक नियम के रूप में पालन किया जाना चाहिए और इससे विचलन अपवाद के रूप में होगा। प्रतिवादी द्वारा समय के विस्तार के लिए की गई प्रार्थना को केवल नियमित रूप से और केवल मांगने पर ही स्वीकार नहीं किया जाएगा, खासकर तब जब 90 दिनों की अवधि समाप्त हो गई हो। प्रतिवादी द्वारा बताए गए कारणों के लिए अपवाद के रूप में समय का

विस्तार दिया जा सकता है और न्यायालय द्वारा संतुष्ट होने पर इसे लिखित रूप में अभिलिखित किया जा सकता है, चाहे वह कितना भी संक्षिप्त क्यों न हो। समय का विस्तार तब दिया जा सकता है जब इसे असाधारण परिस्थितियों के लिए दिए जाने की आवश्यकता हो, प्रतिवादी के नियंत्रण से परे तर्कों से उत्पन्न हो और यदि समय नहीं बढ़ाया गया तो गंभीर अन्याय होगा। किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है और समय बढ़ाने के लिए प्रतिवादी द्वारा दिए गए आधारों के समर्थन में शपथपत्र या दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।”

(जोर दिया गया)

9.18 इस न्यायालय ने बिहार राज्य और अन्य बनाम बिहार राज्य भूमि विकास बैंक समिति मामले में माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 (5) एवं (6) के अंतर्गत उपधारा (6) में विहित अवधि को निदेशात्मक अभिनिर्धारित किया है। प्रासंगिक पैरा 23, 25 एवं 26 नीचे उद्धृत हैं:

“23. इस प्रावधान से यह देखा जा सकता है कि धारा 34(5) और (6) के विपरीत, यदि कोई अधिनिर्णय धारा में निहित नियत या विस्तारित अवधि से परे दिया जाता है, तो मध्यस्थ के आदेश को समाप्त करने का परिणाम स्पष्ट रूप से प्रदान किया जाता है। यह प्रावधान धारा 34(5) और (6) के बिल्कुल विपरीत है, जहाँ, जैसा कि ऊपर कहा गया है, यदि धारा 34 के अंतर्गत आवेदन पर निर्णय लेने की अवधि बीत चुकी है, तो कोई परिणाम प्रदान नहीं किया जाता है। यह एक और सूचक है कि एक ही संशोधन अधिनियम ने, जब विभिन्न स्थितियों

में समय अवधि प्रदान की, तो ऐसा अलग-अलग परिणामों के आशय से किया।

X

X

X

25. अब हम उच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों पर आते हैं। पटना उच्च न्यायालय [बिहार राज्य भूमि विकास बैंक समिति बनाम बिहार राज्य, 2016 एससीसी ऑनलाइन पट 10104], केरल [शम्सुद्दीन बनाम श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, 2016 एससीसी ऑनलाइन केर 23728], हिमाचल प्रदेश [माधव हार्डटेक इंजीनियर्स (प्रा.) लिमिटेड बनाम कार्यकारी अभियंता, 2017 एससीसी ऑनलाइन एचपी 2212], दिल्ली [मशीन टूल इंडिया लिमिटेड बनाम स्प्लेंडर बिल्डवेल (प्रा.) लिमिटेड, 2018 एससीसी ऑनलाइन डेल 9551], और गुवाहाटी [यूनियन ऑफ इंडिया बनाम दुर्गा कृष्णा स्टोर (प्रा.) लिमिटेड, 2018 एससीसी ऑनलाइन गौ 907] सभी ने यह माना है कि धारा 34(5) प्रकृति में आज्ञापक है। जिस बात पर दृढ़ता से निर्भरता व्यक्त की गई वह है प्रावधान द्वारा प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य और साथ ही धारा 34(5) में प्रयुक्त भाषा की आज्ञापक प्रकृति। समान रूप से, समान परिणाम तक पहुंचने के लिए सि.प्र.सं. की धारा 80 के साथ समानताएं बनाई गई हैं। दूसरी ओर, ग्लोबल एविएशन सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड बनाम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया [ग्लोबल एविएशन सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड बनाम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 2018 एससीसी ऑनलाइन बॉम 233] में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अपने द्वारा पूछे गए प्रश्न 4 का उत्तर देते हुए, हमारे कुछ निर्णयों का अनुसरण करते हुए अभिनिर्धारित किया कि प्रावधान निदेशात्मक है, मुख्यतः इसलिए क्योंकि

निर्दिष्ट समय-सीमा के उल्लंघन के लिए कोई परिणाम प्रदान नहीं किया गया है। जब इस तर्क का सामना किया गया कि प्रावधान का उद्देश्य निरर्थक हो जाएगा यदि इसे निदेशात्मक के रूप में समझा जाए, तो बॉम्बे उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया: (एससीसी ऑनलाइन बॉम पैरा 133)

"133. जहाँ तक प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता की इस प्रस्तुति का सवाल है कि यदि धारा 34(5) को निदेशात्मक के रूप में माना जाता है, तो संशोधनों का पूरा उद्देश्य निरर्थक हो जाएगा, मेरे विचार में, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस तर्क में कोई गुणागुण नहीं है। चूँकि उक्त प्रावधान में इसके गैर-अनुपालन की स्थिति में कोई परिणाम प्रदान नहीं किया गया है, इसलिए उक्त प्रावधान को आज्ञापक नहीं माना जा सकता है। मामले को तेजी से आगे बढ़ाने में किसी भी विलंब से बचने का उद्देश्य बॉम्बे उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) नियमों में उचित नियम को शामिल करके पहले ही पूरा किया जा चुका है। न्यायालय हमेशा याचिकाकर्ता को यह निदेश दे सकता है कि वह मामले को स्वीकार करने और अंतिम सुनवाई के लिए न्यायालय द्वारा सुनवाई से पहले अन्य पक्षकार को कागजात और कार्यवाही के साथ नोटिस जारी करे। मध्यस्थता याचिका दायर करने से पहले पूर्व नोटिस जारी करने के गैर-अनुपालन के लिए धारा 34 के अंतर्गत किसी अधिनिर्णय को चुनौती देने के किसी पक्षकार के निहित अधिकारों को नहीं छीना जा सकता है।"

उपरोक्त निर्णय बॉम्बे [महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड बनाम सिम्प्लेक्स गायत्री कंसोर्टियम, 2018 एससीसी ऑनलाइन बॉम 805] और कलकत्ता [श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड बनाम कैंडर गुड़गांव टू डेवलपर्स एंड प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड, 2018 एससीसी ऑनलाइन कैल 5606] के उच्च न्यायालयों के हाल के निर्णयों के अनुसरण में लिया गया है।

26. हमारा मानना है कि बॉम्बे और कलकत्ता उच्च न्यायालयों द्वारा प्रस्तुत दृष्टिकोण विधि की सही स्थिति को दर्शाता है। यद्यपि, हम यह भी जोड़ सकते हैं कि प्रत्येक न्यायालय का यह प्रयास होगा कि जिसमें धारा 34 के अंतर्गत आवेदन दायर किया गया है, वह आवेदक या न्यायालय द्वारा, जैसा भी मामला हो, विपरीत पक्षकार को नोटिस की तामील की तिथि से एक वर्ष की समय सीमा का पालन करे। यदि न्यायालय धारा 34(3) में उल्लिखित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद नोटिस जारी करता है, तो प्रत्येक न्यायालय उक्त आवेदन के दायर होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर धारा 34 के अंतर्गत आवेदन का निपटान करने का प्रयास करेगा, जैसा कि वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक अपील प्रभाग अधिनियम, 2015 की धारा 14 में प्रदान किया गया है। यह 2015 के संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 13(6) को जोड़कर प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को प्रभावी करेगा।”

(जोर दिया गया)

9.19 सी. ब्राइट बनाम जिला और अन्य मामले में इस न्यायालय ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 की प्रकृति की व्याख्या करते हुए जिला

दंडाधिकारी को 30 दिनों के भीतर सुरक्षित आस्तियों का कब्ज़ा सौंपने के लिए अनिवार्य करने वाली अवधि को निदेशात्मक प्रकृति का माना। प्रासंगिक पैरा 8 और 11 नीचे उद्धृत किए गए हैं:

"8. क़ानूनों की व्याख्या का एक स्थापित नियम यह है कि किसी क़ानून में "करेगा" शब्द का उपयोग, जरूरी नहीं कि हर मामले में यह आज्ञापक हो कि जब तक क़ानून के शब्दों का अक्षरशः पालन नहीं किया जाता है, कार्यवाही या कार्यवाही का परिणाम अमान्य होगा। यह कहना हमेशा सही नहीं होता है कि यदि "कर सकेगा" शब्द का उपयोग किया गया है, तो क़ानून केवल इस अर्थ में अनुमेय या निदेशात्मक है कि उन प्रावधानों का पालन न करने से कार्यवाही अमान्य नहीं होगी [यू.पी. राज्य बनाम मनबोधन लाल श्रीवास्तव, एआईआर 1957 एससी 912] और जब कोई क़ानून "करेगा" शब्द का उपयोग करता है, तो प्रथम दृष्ट्या यह आज्ञात्मक है, परंतु न्यायालय क़ानून के पूरे दायरे पर सावधानीपूर्वक ध्यान देकर विधान-मंडल के वास्तविक आशय का पता लगा सकता है [यू.पी. राज्य बनाम बाबू राम उपाध्याय, एआईआर 1961 एससी 751]। क़ानून के संदर्भ और योजना का परीक्षण किए बिना सभी परिस्थितियों में क़ानून के शाब्दिक अर्थान्वयन का सिद्धांत क़ानून के उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता है [आरबीआई बनाम पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, (1987) 1 एससीसी 424]।

x x x

11. रेमिंगटन रैंड ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम वर्कमेन [रेमिंगटन रैंड ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम वर्कमेन, एआईआर 1968 एससी 224] के रूप में रिपोर्ट किए गए एक निर्णय में,

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 17 पर विचार किया गया। उद्धृत किया गया तर्क यह था कि श्रम न्यायालय द्वारा अधिनिर्णय के प्रकाशन की 30 दिनों की समय-सीमा अनिवार्य है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि हालांकि धारा 17 अनिवार्य है, परंतु 30 दिनों के भीतर अधिनिर्णय प्रकाशित करने की समय-सीमा अन्य बातों के साथ-साथ इस कारण से भी निदेशात्मक है कि तीस दिनों की अवधि के भीतर अधिनिर्णय का प्रकाशन न करने पर कोई शास्ति नहीं लगता है।”

(जोर दिया गया)

9.20 उपरोक्त के विपरीत, जहां कानून में कुछ भी किए जाने के लिए विहित अवधि के भीतर गैर-अनुपालन के परिणामों का उल्लेख किया गया है, वही एससीजी कॉन्ट्रैक्ट्स (इंडिया) (प्रा.) लिमिटेड बनाम के.एस. चमनकर इंफ्रास्ट्रक्चर (प्रा.) लिमिटेड में इस न्यायालय द्वारा आज्ञापक अभिनिर्धारित किया गया था। यह उच्च न्यायालय अधिनियम, 2015 के वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग के संदर्भ में वाणिज्यिक विवादों से संबंधितवादों के लिए संशोधित सि.प्र.सं. के आदेश VIII नियम 1 के संदर्भ में था। निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे उद्धृत किए गए हैं:

"10. संशोधित आदेश 8 नियम 1 पर कई उच्च न्यायालयों के निर्णयों ने अब अभिनिर्धारित किया है कि लिखित बयान दायर न करने के परिणाम को देखते हुए, सि.प्र.सं. के संशोधित प्रावधानों को आज्ञापक अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए। ओकू टेक (प्रा.) लिमिटेड बनाम संगीत अग्रवाल, 2016 एससीसी ऑनलाइन डेल 6601 को दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 11-8-2016 को

सि.वा. (मू.प.) सं. 3390/2015 में दिए गए निर्णय के साथ-साथ कई अन्य निर्णयों को देखें, जिसमें *माजा कॉस्मेटिक्स बनाम ओएसिस कमर्शियल (प्रा.) लिमिटेड*, 2018 एससीसी ऑनलाइन डेल 6698 में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय भी शामिल है।

11. हमारा मानना है कि इन निर्णयों में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही है, क्योंकि लिखित बयान दायर करने के अधिकार को खोने का परिणाम; किसी भी अतिरिक्त समय का न बढ़ाया जाना; तथा यह तथ्य कि न्यायालय लिखित बयान को अभिलिखित करने की अनुमति नहीं देगा, ये सभी इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि आदेश 8 नियम 1 के अंतर्गत लिखित बयान दायर करने पर आदेश 8 नियम 1 पर पूर्वतर विधि अब निरर्थक हो गई है।"

(जोर दिया गया)

9.21 इस न्यायालय का बरुण चंद्र ठाकुर के मामले (पूर्वोक्त) में दिया गया निर्णय अपीलार्थी के बचाव में नहीं आता है। इस न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में केवल पैरा 59 और 60 में अधिनियम की योजना पर ध्यान दिया था और निष्कर्ष निकाला था कि इस अधिनियम के अंतर्गत जांच और विचारण का निष्कर्ष शीघ्र होना चाहिए, यह अधिनियम की योजना है।

9.22 इसलिए, हमारा मानना है कि जांच करने के लिए अधिनियम की धारा 14(2) में दिया गया समय आज्ञापक नहीं है, किंतु निदेशात्मक है। धारा 14(3) में दिए गए समय को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी या मुख्य महानगर दंडाधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से बढ़ाया जा सकता है।

9.23 यह मानने के बाद कि प्रारंभिक निर्धारण पूरा करने के लिए धारा 14(3) के अंतर्गत प्रदान की गई अवधि आज्ञापक नहीं है, आगे क्या? हम स्थिति को और स्पष्ट करना अपना कर्तव्य समझते हैं। इस उद्देश्य के लिए, एफकोंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और अन्य बनाम चेरियन वर्की कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य में प्रयुक्त व्याख्या के साधनों का उपयोग स्थिति को और स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त रूप से किया जा सकता है। उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय के समक्ष विचार सि.प्र.सं. की धारा 89 की व्याख्या थी। (देखें: पैराग्राफ 20 और 21)

9.24 व्याख्या के सख्त नियम में *कॉसस ओमिसस* का नियम अर्थात् 'जो कानून में नहीं दिया गया है, उसे न्यायालयों द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता' कड़े व्याख्या के नियम में है। यद्यपि, इसके कुछ अपवाद भी हैं। सुरजीत सिंह कालरा बनाम भारत संघ और अन्य में इस न्यायालय के निर्णय का पैरा '19' इस पर प्रकाश डालता है। नीचे उसी का उद्धरण दिया गया है:

"19. यह सत्य है कि किसी कानून में ऐसे शब्दों को पढ़ना जायज़ नहीं है जो वहाँ नहीं हैं, परंतु "जहाँ विकल्प या तो निहितार्थ द्वारा ऐसे शब्दों को शामिल करने के बीच है जो गलती से छूट गए प्रतीत होते हैं, या ऐसी संरचना को अपनाना जो कुछ मौजूदा शब्दों को सभी अर्थों से वंचित कर देता है, वहाँ शब्दों को शामिल करना जायज़ है" (क्रेज़ कानून विधि, 7वाँ संस्करण, पृष्ठ 109)। *हमीदिया हार्डवेयर स्टोर्स बनाम बी मोहन लाल सोवर*, (1988) 2 एससीसी 513, 524-25 में भी ऐसी ही टिप्पणियाँ की गई हैं जहाँ यह देखा गया था कि किसी प्रावधान की व्याख्या करने वाले न्यायालय को उसमें ऐसे शब्दों को आसानी से नहीं पढ़ना चाहिए जो स्पष्ट रूप से

अधिनियमित नहीं किए गए हैं, परंतु उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए जिसमें प्रावधान दिखाई देता है और उस कानून का उद्देश्य जिसमें उक्त प्रावधान अधिनियमित किया गया है, न्यायालय को इसे सार्थक बनाने के लिए सामंजस्यपूर्ण ढंग से व्याख्या करनी चाहिए। प्रासंगिक प्रावधानों को समेटने का प्रयास हमेशा किया जाना चाहिए जिससे कानून द्वारा इच्छित उपाय को आगे बढ़ाया जा सके। (देखें: *सिराजुल हक खान बनाम सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ*, [1959 एससीआर 1287](#), [1299: एआईआर 1959 एससी 198](#))”

(जोर दिया गया)

9.25 इसके बाद इस मामले पर राजबीर सिंह दलाल (डॉ.) बनाम चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा और अन्य में इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया। उपरोक्त मामले में इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की: ‘जहां विकल्प या तो निहितार्थ द्वारा ऐसे शब्दों का प्रदाय करना है जो गलती से छूट गए प्रतीत होते हैं, या एक सख्त अर्थान्वयन को अपनाना है जो अर्थहीनता की ओर ले जाता है या कुछ मौजूदा शब्दों को सभी अर्थों से वंचित करता है, और इस स्थिति में शब्दों की प्रदाय करना स्वीकार्य है (देखें न्यायमूर्ति जी.पी. सिंह द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत, 9वां संस्करण, पृष्ठ 71-76)’। इस न्यायालय ने व्याख्या के पारंपरिक सिद्धांतों पर भी विचार किया जिन्हें ‘व्याख्या के मीमांसा नियम के रूप में जाना जाता है। उपरोक्त मामले में विचाराधीन मुद्दा विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन में रीडर के पद पर नियुक्ति हेतु अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता के विषय में था। व्याख्या के साधनों को लागू करते हुए, इस न्यायालय ने राय दी कि नियमों को एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या देने के लिए ‘स्नातकोत्तर स्तर पर’ शब्दों के

बाद रीडर के पद के लिए आवश्यक योग्यता में 'प्रासंगिक विषय' डाला जाना चाहिए।

9.26 इसी न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, बैंक प्रतिभूति एवं धोखाधड़ी प्रकोष्ठ बनाम रमेश गेली एवं अन्य मामले में भी यही सिद्धांत अपनाया था।

9.27 हमारी राय में, अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) से स्पष्ट है कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी या मुख्य महानगर दंडाधिकारी को धारा 14(1) के अंतर्गत जांच की अवधि बढ़ाने में सक्षम बनाने वाला मार्गदर्शन, उपधारा (3) में परिकल्पित अवधि के विस्तार के लिए भी लागू होगा। लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए इस प्रकार का विस्तार सीमित अवधि के लिए दिया जा सकता है। समय के विस्तार के लिए प्रार्थना पर विचार करते समय, विशेषज्ञों की राय प्राप्त होने में विलंब एक प्रासंगिक कारक होगा। यह अधिनियम की भावना के अनुरूप होगा और इसे एक उद्देश्यपूर्ण अर्थ देगा।

9.28 हम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा **भोला बनाम मध्य प्रदेश राज्य** और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा **सीसीएल बनाम दिल्ली राज्य (एनसीटी)** में व्यक्त किए गए विचारों को स्वीकार करते हैं, जिन्होंने अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों का निपटान करते समय अभिनिर्धारित किया है कि प्रारंभिक निर्धारण पूरा करने के लिए विहित समय अवधि आज्ञापक नहीं है, किंतु प्रकृति में केवल निदेशात्मक है। हम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा **नीरज और अन्य बनाम हरियाणा राज्य** में और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा **एक्स (अपने बड़े भाई के माध्यम से) बनाम राज्य** में व्यक्त किए गए विचारों को भी स्वीकार करते हैं, जिन्होंने निरस्त किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के समरूप प्रावधानों का निपटान करते समय भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए थे।

III. उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग

10. वर्तमान अपील में चुनौती दिया जाने वाला आदेश शिकायतकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया था, जिसमें बोर्ड द्वारा पारित दिनांक 10.04.2023 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके अनुसार बोर्ड के समक्ष कार्यवाही समाप्त करने और मामले को विचारण हेतु बाल न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत उसके द्वारा दायर आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रधान दंडाधिकारी द्वारा दिनांक 05.04.2022 को पारित आदेश अधिनियम की धारा 7(4) के अनुसार अंतिम था, क्योंकि कोई बहुमत की राय नहीं दी जा सकती थी।

10.1 विधि के प्रावधान के अनुसार, सीसीएल को उस आदेश के विरुद्ध शिकायत हो सकती थी और वह उसके विरुद्ध अपने उपाय का लाभ उठा सकता था, परंतु कार्यवाही को आगे जारी रखने की अनुमति दी गई। जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है कि कैसे बोर्ड के दो सदस्यों ने प्रधान दंडाधिकारी की मौजूदगी के बिना मामले में अलग दृष्टिकोण अपनाते हुए कार्यवाही की। यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि जब दिनांक 12.04.2022 को बोर्ड के दो सदस्यों द्वारा उत्तरवर्ती आदेश पारित किया गया, तो प्रधान दंडाधिकारी का पहले ही स्थानान्तरण हो चुका था, जैसा कि उच्च न्यायालय के आदेश (पैरा 19) से स्पष्ट है। वास्तव में, बोर्ड के दो सदस्यों द्वारा दिनांक 12.04.2022 को पारित आदेश जिसमें बोर्ड द्वारा मामले में जांच का निदेश दिया गया था, विधि की दृष्टि से नास्ति तथ्य था, अगर अधिनियम की धारा 7(4) के संदर्भ में सख्ती से विचार किया जाए। बोर्ड द्वारा पारित विभिन्न आदेशों से यह स्पष्ट है कि जांच या तो पीठासीन अधिकारी या अति.लो.अभि. (लोक अभियोजक) की अनुपस्थिति या बुलाए गए साक्षियों के कारण आगे नहीं बढ़ सकी उस समय, शिकायतकर्ता द्वारा

बोर्ड के समक्ष कार्यवाही समाप्त करने और मामले को बाल न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिस पर अपीलार्थी द्वारा आपत्तियां दर्ज की गई थीं। बोर्ड ने दिनांक 10.04.2023 के आदेश के माध्यम से आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि शिकायतकर्ता को दिनांक 12.04.2022 के आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार था, जिसका लाभ उठाया जा सकता था और बोर्ड के पास अपने आदेश का पुनर्विलोकन करने का कोई अधिकार नहीं है। शिकायतकर्ता द्वारा धारा 397 के साथ दं.प्र.सं. की धारा 399 के अंतर्गत शक्ति का उपयोग करते हुए पुनरीक्षण याचिका दायर करके उक्त आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। यह उक्त याचिका में पारित आदेश है जिसे इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।

10.2 सबसे पहले, मुद्दा उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करने के लिए धारा 397 को दं.प्र.सं. की धारा 399 के साथ पढ़ने का है और इस आधार पर इसकी संधार्यता के विषय में है। इस पर कुछ भी निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यह याचिका में केवल एक गलत धारा का उल्लेख था। अन्यथा उच्च न्यायालय के पास विषय-वस्तु से निपटने की शक्ति है। अधिनियम की धारा 102 उच्च न्यायालय को बोर्ड या बाल न्यायालय द्वारा किसी भी आदेश या कार्यवाही के संदर्भ में अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम बनाती है। इसलिए, इस आधार पर हमें नहीं लगता कि पुनरीक्षण को खारिज कर दिया जाना चाहिए था।

10.3 अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्भूत किया गया एक अन्य तर्क यह था कि दिनांक 12.04.2024 के आदेश के विरुद्ध शिकायतकर्ता के पास अपील का उपाय उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत बोर्ड के दो सदस्यों ने बोर्ड द्वारा सीसीएल द्वारा कथित रूप से किए गए

अपराध की जांच का निर्देश दिया था। हमारी राय में, भले ही शिकायतकर्ता के पास ऐसा उपाय उपलब्ध हो, जिसका सामान्य रूप से लाभ उठाया जाना चाहिए, परंतु मामले के तथ्यों से जो स्पष्ट है वह यह है कि दिनांक 05.04.2022 को प्रधान दंडाधिकारी द्वारा पारित एक पूर्व आदेश था, जो बाल न्यायालय द्वारा सीसीएल के विचारण के संचालन के संबंध में अंतिम था, फिर भी बाद में बोर्ड के दो सदस्यों ने प्रधान दंडाधिकारी की उपस्थिति के बिना दिनांक 12.04.2022 को बोर्ड द्वारा अपराध की जांच का निदेश देते हुए एक आदेश पारित किया। वास्तव में, उत्तरवर्ती आदेश पूर्ण रूप से नास्ति तथ्य था। भले ही ऐसी स्थिति में अपील के उपाय का लाभ उठाकर उपरोक्त आदेश को चुनौती नहीं दी गई हो, हमारी राय में अधिनियम की धारा 102 के अंतर्गत पुनरीक्षण संधार्य नहीं कहा जा सकता है।

10.4 सबसे पहले, इसमें पुनरीक्षण दायर करने के लिए कोई समय सीमा प्रदान नहीं की गई है, और दूसरी बात यह कि यह किसी भी पक्षकारगण द्वारा दायर आवेदन पर हो सकता है। उच्च न्यायालय किसी भी ऐसे आदेश की वैधता या औचित्य के विषय में स्वयं को संतुष्ट करने के लिए अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे। दिनांक 12.04.2022 के आदेश की वैधता के अलावा, यह मामला ऐसा है जहाँ कार्यवाही का औचित्य भी सवाल के घेरे में था। अधिनियम की धारा 7(4) के अनुसार दिनांक 05.04.2022 के आदेश के पारित होने के बाद बोर्ड के समक्ष कार्यवाही जारी नहीं रह सकती थी।

10.5 इसलिए, ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता द्वारा अपील के उपाय का लाभ न उठाना घातक नहीं माना जा सकता। हम यहां यह भी जोड़ सकते हैं कि अपीलार्थी भी दिनांक 05.04.2022 के आदेश के विरुद्ध अपील के

उपाय का लाभ उठा सकता था, परंतु उसने बोर्ड के समक्ष एक नास्ति तथ्य कार्यवाही जारी रखने के विषय में सोचा।

IV. किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 **की धारा 101 में विषमता**

(क) 'बाल न्यायालय' और 'सत्र न्यायालय' के रूप में प्रयुक्त शब्दों के संबंध में

11. अधिनियम की धारा 101 में विभिन्न आदेशों के विरुद्ध अपील का प्रावधान है। इसकी उपधारा (1) में प्रावधान है कि अधिनियम के अंतर्गत समिति या बोर्ड द्वारा दिए गए किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर बाल न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकता है, इस अपवाद के साथ कि पोषण देखरेख और प्रायोजन देखरेख से संबंधित समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील जिला दंडाधिकारी के समक्ष की जा सकेगी। अधिनियम की धारा 2(22) में 'समिति' शब्द को धारा 27 के अंतर्गत गठित 'बाल कल्याण समिति' के रूप में परिभाषित किया गया है।

धारा 101 की उपधारा (1) के परंतुक में यह प्रावधान है कि यदि अपील दायर करने में विलंब हेतु पर्याप्त कारण दर्शाया जाता है तो सत्र न्यायालय या जिला दंडाधिकारी, जैसा भी मामला हो, 30 दिन की अवधि की समाप्ति के बाद अपील पर विचार कर सकते हैं।

- 11.1 धारा 101 की उपधारा (2) में प्रावधान है कि अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत प्रारंभिक निर्धारण करने के बाद बोर्ड द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील सत्र न्यायालय के समक्ष होगी। अपील पर निर्णय लेते समय न्यायालय अनुभवी मनोवैज्ञानिकों और चिकित्सा विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है, उन लोगों के अलावा जिनकी सहायता बोर्ड ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय ली थी। यह मुद्दे

के स्वतंत्र परीक्षण को दर्शाता है। उपधारा (4) में प्रावधान है कि सत्र न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध कोई दूसरी अपील नहीं की जा सकेगी। बरुन चंद्र ठाकुर के मामले (पूर्वोक्त) में प्रावधानों को अनिवार्य माना गया है।

11.2 सुनवाई के समय पक्षकारण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताए गए अनुसार, उक्त प्रावधान में कुछ विषमता स्पष्ट हैं। उनका प्रतिविरोध था कि विषमताओं को भी संबोधित किया जाना चाहिए, जिससे भविष्य में प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके। हम भी विधि की भावना को ध्यान में रखते हुए उसी दिशा में सोचते हैं।

11.3 अधिनियम में सत्र न्यायालय शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। 16 वर्ष या उससे अधिक आयु के और जघन्य अपराध में शामिल सीसीएल का विचारण बाल न्यायालय द्वारा उसे वयस्क मानते हुए चलाया जाएगा।

11.4 अधिनियम की धारा 2(20) में 'बाल न्यायालय' को 2005 अधिनियम के अंतर्गत प्रतिष्ठित न्यायालय या 2012 अधिनियम के अंतर्गत प्रतिष्ठित विशेष न्यायालय के रूप में परिभाषित किया गया है। जहां ऐसे न्यायालय मौजूद नहीं हैं, वहां सत्र न्यायालय को अधिनियम के अंतर्गत अपराध का विचारण करने का क्षेत्राधिकार होगा। इसका अर्थ यह है कि बाल न्यायालय और सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को एक ही श्रेणी में रखा गया है। इस प्रस्ताव में कोई संदेह नहीं है कि सत्र न्यायाधीश में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भी शामिल होंगे।

11.5 2005 के अधिनियम की धारा 25 में प्रावधान है कि बालकों के विरुद्ध अपराधों या बाल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में त्वरित विचारण हेतु राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से अधिसूचना द्वारा राज्य में कम से कम एक न्यायालय या प्रत्येक जिले के लिए एक सत्र न्यायालय को बाल न्यायालय के रूप में

निर्दिष्ट कर सकती है। इसका अर्थ यह है कि 2005 के अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय सत्र न्यायालय के स्तर का है।

11.6 अधिनियम की धारा 101(1) बोर्ड या समिति द्वारा पारित कुछ आदेशों के विरुद्ध बाल न्यायालय में अपील दायर करने से संबंधित है, जैसा भी मामला हो। उपरोक्त उप-धारा के परंतुक में यह प्रावधान है कि यदि अपील दायर करने में कोई विलंब होता है, तो क्षमा करने की शक्ति सत्र न्यायालय के पास निहित है। 'बाल न्यायालय' शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, हालांकि बाल न्यायालय के समक्ष अपील संधार्य है।

11.7 अधिनियम की धारा 101 की उपधारा (2) अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान करती है। अपील प्राधिकरण को सत्र न्यायालय बताया गया है।

11.8 2016 के नियमों का नियम 13 बाल न्यायालय और अनुश्रवण प्राधिकरणों के संबंध में प्रक्रिया से संबंधित है। अधिनियम की धारा 101(2) के अंतर्गत दायर अपील से संबंधित उप-नियम (3) और (4) अपील प्राधिकरण को 'बाल न्यायालय' के रूप में संदर्भित करते हैं, हालांकि अधिनियम की धारा 101(2) में अपील को सत्र न्यायालय के समक्ष संधार्य बताया गया है। उपरोक्त प्रावधान से भी यह स्पष्ट है कि 'सत्र न्यायालय' और 'बाल न्यायालय' शब्दों का परस्पर उपयोग किया गया है।

12. अधिनियम की धारा 102 में उच्च न्यायालय को पुनरीक्षण शक्ति प्रदान की गई है। यह फिर से किसी भी कार्यवाही के रिकॉर्ड को मंगाने की बात करता है जिसमें किसी समिति या बोर्ड या बालकों के न्यायालय या न्यायालय ने कोई आदेश पारित किया हो। यह सत्र न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण शक्ति के प्रयोग की बात नहीं करता है। रिकॉर्ड को सीधे तौर पर रखने के लिए, यह जोड़ा गया है कि अधिनियम की धारा 2(23) में 'न्यायालय' शब्द को एक सिविल न्यायालय के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके पास अंगीकरण और संरक्षकता के मामलों में

क्षेत्राधिकार है और इसमें जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय और शहर के सिविल न्यायालय शामिल हो सकते हैं।

12.1 इसी प्रकार, उप-धारा (2) में यह प्रावधान है कि अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत प्रारंभिक निर्धारण के पश्चात् बोर्ड द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील सत्र न्यायालय में की जा सकती है। बोर्ड का अध्यक्ष प्रधान दंडाधिकारी होता है। यहां बाल न्यायालय शब्द का उल्लेख नहीं है।

12.2 अधिनियम और 2016 के नियमों के उपरोक्त प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ने से, हमारी राय में, जहाँ भी 'बाल न्यायालय' या 'सत्र न्यायालय' शब्दों का उल्लेख किया गया है, दोनों को वैकल्पिक रूप से पढ़ा जाना चाहिए। इस अर्थ में कि जहाँ बाल न्यायालय उपलब्ध है, भले ही अपील सत्र न्यायालय के समक्ष संधार्य हो, उस पर बाल न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए। जबकि जहाँ कोई बाल न्यायालय उपलब्ध नहीं है, वहाँ सत्र न्यायालय द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाना है।

(ख) अधिनियम की धारा 15 के अधीन बोर्ड के आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने का समय।

13. यद्यपि, अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत प्रारंभिक निर्धारण के पश्चात् धारा 18(3) के अन्तर्गत पारित आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा 15(2) एवं धारा 101(2) में अपील का अधिकार प्रदान किया गया है, तथापि, अपील दायर करने के लिए न तो कोई समय निर्धारित किया गया है और न ही आवश्यकता पड़ने पर विलम्ब हेतु क्षमा का कोई प्रावधान किया गया है।

13.1 हमारी राय में, यह एक लोप है। अधिनियम को व्यावहारिक बनाने और अपील के वैधानिक अधिकार के प्रयोग के लिए समयसीमा निर्धारित करने के लिए, जो हमेशा मौजूद है, हम इस अंतर को भरना उचित समझते हैं, जो अन्यथा अधिनियम की योजना के विरुद्ध नहीं

है। इसलिए, धारा 101(2) में अपील दायर करने की अवधि के लिए, हम अधिनियम की धारा 101(1) से मार्गदर्शन लेते हैं। इसमें अपील दायर करने के लिए प्रदान की गई अवधि 30 दिन है और यदि पर्याप्त कारण बताए जाते हैं तो विलंब को माफ करने की शक्ति भी अपील प्राधिकरण को प्रदान की गई है। अपील के निर्णय के लिए समयसीमा भी प्रदान की गई है।

13.2 तदनुसार आदेश दिया गया।

(ग) द्वितीय अपील के संबंध में

14. उपधारा (4) में यह प्रावधान है कि सत्र न्यायालय के आदेश के विरुद्ध कोई दूसरी अपील नहीं की जा सकेगी। उपधारा (5) में बाल न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान है, क्योंकि दं.प्र.सं. की यह प्रक्रिया लागू होती है, जैसे कि बाल न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध दूसरी अपील की जा सकती है। अधिनियम की धारा 102 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को पुनरीक्षण शक्तियां भी प्रदान की गई हैं।

14.1 अधिनियम के प्रावधानों के निर्बाध संचालन हेतु उपरोक्त प्रावधानों के भी विस्तार से परीक्षण की आवश्यकता होगी जिससे विषमताओं को दूर किया जा सके। यद्यपि, चूँकि यह वर्तमान अपील में शामिल मुद्दा नहीं है और इस पर कोई तर्क नहीं दिया गया है, इसलिए, हम इस मुद्दे को किसी उचित मामले में विचार के लिए खुला छोड़ते हैं।

V. दिनांक 05.04.2022 के बोर्ड द्वारा पारित आदेश की वैधता

15. इस मामले में, बाल एवं किशोर मनोचिकित्सा विभाग, निमहंस - डीडब्ल्यूसीओ द्वारा प्रस्तुत दिनांक 01.02.2022 की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात्, बोर्ड द्वारा पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलें सुनी गई तथा दिनांक 29.03.2022 के आदेश के अनुसार मामले को दिनांक 05.04.2022 को आदेश के लिए रखा गया। उस दिन, प्रधान दंडाधिकारी ने प्रारंभिक निर्धारण रिपोर्ट तथा सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट पर विचार करने

के पश्चात् आदेश पारित किया कि सीसीएल पर बाल न्यायालय द्वारा वयस्क के रूप में विचारण किया जाना चाहिए। मामले के अभिलेखों को बाल न्यायालय, बेंगलुरु में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया। जब फाइल को बोर्ड के सदस्य के समक्ष हस्ताक्षर के लिए रखा गया, तो उन्होंने निम्न प्रकार से अभिलिखित किया:

"मैं उपरोक्त आदेश से असहमत हूँ। मैं अगली सुनवाई पर विस्तृत आदेश पारित करूँगा।"

15.1 मामले को दिनांक 12.04.2022 को पेश करने का निदेश दिया गया। अगली तिथि पर, प्रधान दंडाधिकारी की अनुपस्थिति में और किसी अन्य व्यक्ति को बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के कारण, प्रधान दंडाधिकारी की अनुपस्थिति में बोर्ड के दो सदस्यों द्वारा तर्कों की पुनः सुनवाई की गई, और यह निर्दिष्ट किया गया कि सीसीएल द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध की जांच बोर्ड द्वारा की जानी है।

15.2 अधिनियम की धारा 7 बोर्ड के संबंध में प्रक्रिया से संबंधित है। इसकी उप-धारा 3 में प्रावधान है कि बोर्ड अपने किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति के बावजूद कार्य कर सकता है। बोर्ड द्वारा पारित कोई भी आदेश कार्यवाही के किसी भी चरण के दौरान किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण अमान्य नहीं होगा। इसके परंतुक में प्रावधान है कि मामले के अंतिम निपटान या अधिनियम की धारा 18(3) के अंतर्गत आदेश देने के समय, प्रधान दंडाधिकारी सहित कम से कम दो सदस्य मौजूद होंगे।

15.3 जब अधिनियम की धारा 18(3) के अंतर्गत आदेश के संदर्भ में मामले में दलीलें सुनी गईं और दिनांक 29.03.2022 को आदेश सुरक्षित रखा गया, तब बोर्ड में एक प्रधान दंडाधिकारी और एक सदस्य शामिल थे।

15.4 अधिनियम की धारा 7(4) में प्रावधान है कि यदि अंतरिम या अंतिम निपटान में कोई मतभेद हो तो बहुमत की राय मान्य होगी। जहां ऐसा कोई बहुमत नहीं है, वहां प्रधान दंडाधिकारी की राय मान्य होगी।

15.5 अभिलेखों का परिशीलन यह दर्शाता है कि दिनांक 29.03.2022 को आदेश सुरक्षित रखे जाने के बाद, मामले को दिनांक 05.04.2022 को आदेश के लिए सूचीबद्ध किया गया था। प्रधान दंडाधिकारी ने अपनी राय अभिलिखित की कि सीसीएल का विचारण बाल न्यायालय द्वारा किया जाना है। बोर्ड के अन्य सदस्य ने अपनी असहमति दर्ज की, हालांकि इस प्रकार के कोई विस्तृत कारण नहीं दिए गए। अधिनियम की धारा 7(4) के अनुसार, बहुमत की राय को ही मान्य माना जाता है। वर्तमान मामला उस श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि उस तिथि को बोर्ड में प्रधान दंडाधिकारी और एक सदस्य शामिल थे, और सदस्य ने अपनी असहमति दर्ज की थी। ऐसी स्थिति में प्रधान दंडाधिकारी की राय अभिभावी होगी। वर्तमान मामले में आदेश पर प्रधान दंडाधिकारी ने हस्ताक्षर किए थे। भले ही बोर्ड के अन्य सदस्य ने आदेश पर हस्ताक्षर न किए हों और केवल यह उल्लेख किया हो कि उनका असहमतिपूर्ण दृष्टिकोण है, बिना कोई कारण दर्ज किए, प्रधान दंडाधिकारी का आदेश अभिभावी होगा। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि किसी भी आदेश में कारण 'हृदय और आत्मा' होते हैं और अगले उच्चतर न्यायालय के लिए मामले का परीक्षण करने में सहायक होते हैं। सीसीएल की जांच या विचारण के विषय में बोर्ड की राय के संदर्भ में कार्यवाही, चाहे बोर्ड द्वारा हो या बाल न्यायालय द्वारा, समाप्त हो गई। उस मामले में आगे की कोई भी कार्यवाही अनिर्धारित और क्षेत्राधिकार से बाहर थी। इस विषय में और कुछ कहना तो दूर की बात है। उस संबंध में उच्च न्यायालय की राय किसी हस्तक्षेप की मांग नहीं करती।

VI. अपीलार्थी को अपील का उपाय

16. हमारी राय में, मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, अपीलार्थी को यह अधिकार दिया जाना चाहिए।

16.1 प्रारंभ में शिकायतकर्ता द्वारा दायर आवेदन को बोर्ड ने अस्वीकार कर दिया था। उसी के विरुद्ध व्यथित होकर, शिकायतकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण का विकल्प चुना। उच्च न्यायालय ने केवल बोर्ड की राय की अंतिमता के मुद्दे पर ही निर्णय दिया। यह अधिनियम की धारा 7(4) के अनुसार था, जो यह प्रावधान करता है कि जहां बहुमत की राय संभव नहीं है, वहां प्रधान दंडाधिकारी की राय अभिभावी होगी। अपील एक मूल्यवान अधिकार है। बोर्ड द्वारा पारित दिनांक 05.04.2022 के आदेश के विरुद्ध सीसीएल के पास जो भी तर्क हो सकते हैं, यदि कोई हो, जिसमें बाल न्यायालय द्वारा उसके विचारण का निदेश दिया गया है, उन पर विचार नहीं किया गया है। आक्षेपित आदेश में केवल इस तथ्य पर ध्यान दिया गया कि बोर्ड ने निमहंस से प्राप्त राय पर विचार करने के बाद राय बनाई थी। यदि अधिनियम की योजना पर विचार किया जाता है, तो अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत पारित बोर्ड के आदेश के विरुद्ध अपील सत्र न्यायालय में की जा सकती है। अपील प्राधिकरण, मुद्दों का परीक्षण करने के लिए, बोर्ड द्वारा प्राप्त की गई सहायता के अलावा अनुभवी मनोवैज्ञानिकों और चिकित्सा विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त करने का हकदार है। इसलिए, स्वतंत्र परीक्षण की परिकल्पना की गई है। इस मामले में उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। हम इस संबंध में पक्षकारण के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालना चाहते हैं।

16.2 इसलिए, हमारा विचार है कि सीसीएल बोर्ड द्वारा पारित दिनांक 05.04.2022 के आदेश के विरुद्ध 10 दिनों के भीतर अपील के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है और यदि कोई अपील दायर

की जाती है, तो उसके बाद दो महीने के भीतर अपील प्राधिकरण द्वारा उसका निर्णय किया जाएगा।

VII. अतिरिक्त मुद्दे

17. निर्णय देने से पहले, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश के पैरा 25 को स्वीकृति के साथ उद्धृत करते हैं। उसका अंश नीचे दिया गया है:

"25. इस न्यायालय द्वारा एक और बिंदु पर गौर किया गया है कि आदेश पत्र और आदेशों पर हस्ताक्षर करते समय न्यायिक सदस्य के साथ-साथ गैर-न्यायिक सदस्यों के नाम उनके हस्ताक्षरों के नीचे नहीं लिखे जाते हैं। यह किसी के लिए भी उपस्थित और अनुपस्थित सदस्यों के नाम जानने में बाधा बन रहा है। इसलिए, केवल हस्ताक्षरों के आधार पर, यह न्यायालय यह पता लगाने में सक्षम था कि दिनांक 05.04.2022 को कौन-सा गैर-न्यायिक सदस्य उपस्थित था और दिनांक 12.04.2022 को असहमति व्यक्त करने वाला तीसरा सदस्य कौन था। इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि सदस्यों के नाम उनके हस्ताक्षरों के नीचे उल्लेख करना उचित होगा, जिससे उक्त कार्यवाही के संचालन में पारदर्शिता में भी मदद मिलेगी और सदस्य उक्त कार्यवाही में निभाई गई अपनी भूमिका के बारे में सतर्क रहेंगे।"

- 17.1 उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर गौर किया है जो पूरे देश में न्यायिक और अर्ध-न्यायिक कार्यवाही में उद्भूत होता है। पीठासीन अधिकारी या बोर्ड के सदस्य, जैसा कि मामला है, या अधिकरण आदेश पारित करते समय अपने नाम का उल्लेख नहीं करते हैं। जिसके परिणामस्वरूप बाद में यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि संबंधित समय पर न्यायालय या बोर्ड या अधिकरण की अध्यक्षता कौन कर रहा था या सदस्य कौन था। एक ही नाम के कई अधिकारी

हो सकते हैं। जहां तक न्यायिक अधिकारियों का सवाल है, उन्हें विशिष्ट पहचान संख्या जारी की गई है।

17.2 हम अपेक्षा करते हैं कि न्यायालयों, अधिकरणों, बोर्डों और अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों द्वारा पारित सभी आदेशों में, जहाँ कहीं भी कमी हो, पीठासीन अधिकारियों या सदस्यों के नाम हस्ताक्षरित आदेशों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किए जाएँ, जिसमें अंतरिम आदेश भी शामिल हैं। यदि अधिकारियों को कोई पहचान संख्या दी गई है, तो उसे भी जोड़ा जा सकता है।

- 17.3 मामला यहीं खत्म नहीं होता। कई आदेशों में पक्षकारगण और/या उनके अधिवक्तागण की उपस्थिति को ठीक से अभिलिखित नहीं किया गया है। इसके अलावा, यह स्पष्ट नहीं है कि किसके पक्ष में स्थगन मांगा गया है और दिया गया है। मामले के विभिन्न चरणों में इस तथ्य पर विचार किया जाना बहुत प्रासंगिक है और यह भी पता लगाना चाहिए कि मामले में विलंब करने वाला पक्षकार कौन था। स्थगन दिए जाने के समय, इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। यह जुर्माना अधिरोपित करने में भी सहायक हो सकता है, अंतिम रूप से तब जब हम वास्तविक जुर्मानों पर आते हैं।

VIII. राहत और दिशा-निर्देश

18. हमारी उपरोक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील का निपटान निम्नलिखित निदेशों के साथ किया जाता है:
- (i) अधिनियम की धारा 14(3) का प्रावधान, जो अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत प्रारंभिक निर्धारण पूरा करने के लिए तीन महीने की अवधि प्रदान करता है, आज्ञापक नहीं है। इसे निदेशात्मक अभिनिर्धारित किया जाता है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी या, जैसा भी मामला हो, मुख्य

महानगर दंडाधिकारी द्वारा लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से अवधि बढ़ाई जा सकती है।

- (ii) किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और 2016 के नियमों में 'बाल न्यायालय' और 'सत्र न्यायालय' शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर पढ़ा जाएगा। मुख्य रूप से क्षेत्राधिकार बाल न्यायालय में निहित है। यद्यपि, जिले में ऐसे बाल न्यायालय के गठन की अनुपस्थिति में, अधिनियम के अंतर्गत प्रयोग की जाने वाली शक्ति सत्र न्यायालय में निहित है।
- (iii) अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत पारित बोर्ड के आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा 101(2) के अंतर्गत अपील 30 दिनों की अवधि के भीतर दायर की जा सकती है। अपील न्यायालय उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अपील पर विचार कर सकता है, बशर्ते पर्याप्त कारण बताए गए हों। 30 दिनों की अवधि के भीतर दायर की गई ऐसी किसी भी अपील पर निर्णय लेने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- (iv) वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में कोई त्रुटि नहीं है।
- (v) अधिनियम की धारा 7(4) के अंतर्गत प्रदान की गई प्रक्रिया से संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.11.2023 को पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है।
- (vi) दिनांक 05.04.2022 को प्रधान दंडाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित बोर्ड द्वारा पारित आदेश अंतिम था। यद्यपि, यह पीड़ित पक्षकार के अपील के अधिकार के अधीन है। अपीलार्थी को आज से 10 दिनों की अवधि के भीतर उक्त आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा। अपील प्राधिकरण दायर करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर उस पर निर्णय लेने का प्रयास करेगा।

- (vii) न्यायालयों, अधिकरणों, बोर्डों और अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों द्वारा पारित सभी आदेशों में पीठासीन अधिकारी और/या आदेश पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों के नाम का उल्लेख किया जाएगा। यदि कोई पहचान संख्या दी गई है, तो उसे भी जोड़ा जा सकता है।
- (viii) पीठासीन अधिकारी और/या सदस्य आदेश पारित करते समय पक्षकारगण और/या उनके अधिवक्तागण की उपस्थिति, जिस उद्देश्य के लिए मामला स्थगित किया जा रहा है तथा जिस पक्षकार की ओर से स्थगन मांगा गया है और दिया गया है, उसका समुचित रूप से रिकार्ड करेंगे।
19. निर्णय की एक प्रति सभी उच्च न्यायालयों के महा निबंधकों को भेजी जाए जिससे न्यायिक अधिकारियों और किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और राज्य न्यायिक अकादमियों के निदेशकों के बीच इसे आगे प्रसारित किया जा सके।

मामले का परिणाम: अपील का निपटान किया गया

[†]हेडनोट्स द्वारा तैयार किया गया: अंकित ज्ञान

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: *The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.*